

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2010 सत्र

मंगलवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

कचना रायपुर स्थित शासकीय आवासों का आवंटन

1. (*क्र. 184) श्री बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिक्स : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कचना रायपुर स्थित शासकीय आवासों का आवंटन किया गया था ? यदि हां तो कब ? किस बैठक में ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : जी हां. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

एक्सपायरी दवाओं को नष्ट करने संबंधी

2. (*क्र. 04) श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि एक्सपायरी डेट की दवाइयों को नष्ट करने के बजाय रायपुर की दलदल सिवनी के खुले मैदान में फेंका गया है ? यदि हां तो विधिवत् नष्ट क्यों नहीं किया गया ? (ख) उक्त दवाइयों की कीमत क्या थी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

दवाओं की क्रय नीति तथा उसके सेम्पल की जांच

3 (*क्र. 13) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं के क्रय करने की क्रय नीति क्या है ? किन नीतियों/नियमों के तहत (राज्य व जिला स्तर पर) क्रय की जाती है ? (ख) वर्ष 2009-10 की अवधि में कितनी दवाएं किस स्तर पर, किन दवा निर्माताओं/विक्रेताओं से क्रय की गई ? (ग) क्या उपरोक्त अवधि में क्रय की गई दवाओं की सेम्पल जांच कराई गई थी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय क्रय समिति के द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष की कुल आवश्यकता के क्रय अनुमोदन अनुसार भारत सरकार की नेशनल प्रिफ्रेन्स परचेस पॉलिसी के तहत राज्य स्तर पर 102 औषधियों का क्रय केन्द्र शासन के सार्वजनिक उपक्रमों से एवं शेष आवश्यक औषधियों का क्रय छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमानुसार ई-प्रोक्योरमेंट के तहत निविदा आमंत्रित कर किया जाता है. जिला स्तर पर केवल आपातकालीन स्थिति में एक समय में रुपये 25,000/- तक की औषधियों का क्रय छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियमानुसार किया जाता है. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. (ग) जी हां. प्रदेश स्तर पर.

जिला जांजगीर-चांपा में कोटवार, पटवारी, तहसीलदार के रिक्त/स्वीकृत पद

4. (*क्र. 18) श्री सौरभ सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले में कोटवार, पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के कितने पद कहां-कहां पर स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं ? इन पदों पर कब तक पदस्थापना होगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. नवागढ़ में तहसीलदार का एक पद 25-04-2010 से रिक्त है, नायब तहसीलदार एवं पटवारी के पद विगत 4 वर्ष से रिक्त है एवं कोटवार के पद विगत 6 माह एवं 1 वर्ष से रिक्त है. पदस्थापना संबंधी प्रक्रिया जारी है, समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

एच. एम. स्क्वाड के गठन का प्रावधान

5. (*क्र. 177) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरसीवा विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत खरोरा, ढाबा में दिनांक 24-10-2010 को तलाशी लेने वाले “एच. एम. स्क्वाड” में कौन-कौन पुलिस के लोग थे ? उनके नाम, पदनाम सहित ब्यौरा दें. (ख) एच. एम. स्क्वाड के संगठन का गठन किन प्रावधानों के तहत किया गया है ? इसे कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? किसी संस्थान में छापामार कार्यवाही के अधिकारों का भी ब्यौरा दें.

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) धरसीवा विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत, खरोरा के ढाबा में दिनांक 24-10-2010 को कोई तलाशी नहीं ली गई थी बल्कि दिनांक 23-10-2010 को तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही स्पेशल स्क्वाड द्वारा की गई थी. इस स्क्वाड में कार्यवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट पर दी गई है. (ख) एच. एम. स्क्वाड का गठन नहीं किया गया है, बल्कि छ.ग. पुलिस अधिनियम 2007 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत जुआ, सट्टा एवं अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्पेशल स्क्वाड का गठन किया गया है. इस स्क्वाड में तैनात सभी पुलिस अधिकारियों को थाना के भारसाधक अधिकारी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं. यह स्क्वाड छ.ग. राज्य के किसी भी स्थान में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के तहत तलाशी, जब्ती की कार्यवाही कर सकता है तथा पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्र. 749, 750 एवं 751 के तहत कार्यवाही करता है.

आरंग विधान सभा क्षेत्रांतर्गत फाईलेरिया उन्मूलन हेतु आवंटित एवं व्यय राशि

6. (*क्र 115) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 01-01-2009 से 15-11-2010 तक की अवधि में आरंग नगर पंचायत में फाईलेरिया (हाथीपांव) से कितने लोग ग्रसित हैं ? वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में फाईलेरिया उन्मूलन के लिये जिला स्वास्थ्य विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई ? (ख) विधान सभा क्षेत्र में आरंग नगर पंचायत के कितने तालाबों में फाईलेरिया उन्मूलन हेतु क्या-क्या कार्य कराये गये तथा कितनी राशि खर्च हुई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 30 व्यक्ति. वर्ष 2009-10 में राशि 12,35,695=00 रुपये तथा 2010-11 में निरंक. (ख) फाईलेरिया रोग उन्मूलन का कार्य राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है. इस कार्यक्रम में तालाबों में कार्य कराने का प्रावधान नहीं है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब विक्रय की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

7. (*क्र 167) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2010 में दिनांक 15-11-2010 तक की स्थिति में अवैध शराब बेचने की कितनी शिकायतें विभाग को किस-किस व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? शिकायतकर्ता के नाम, पता सहित जानकारी दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में अवैध शराब बेचने की 16 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं, की गई कार्यवाही का विवरण तथा शिकायतकर्ता के नाम, पता की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

रायपुर जिले में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण

8. (*क्र 153) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में वर्ष 2010-11 (माह अक्टूबर, 2010 तक) में अवैध शराब बिक्री के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? किन-किन आरोपियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) उक्त अवधि में जिले में संचालित किन-किन शराब दुकानों को बन्द करने एवं

अन्यत्र हटाने के लिए आम नागरिकों ने शासन/प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले में प्रश्नांकित अवधि में अवैध शराब बिक्री के कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किए गए. विकासखण्डवार जानकारी निरंक है. कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) 04 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को बंद करने एवं 43 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को हटाने के लिए नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, की गई कार्यवाही का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र की समितियों के पंजीयन के लंबित प्रकरण

9. (*क्र. 349) **श्री परेश बागवाहरा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी समितियों के पंजीयन के प्रकरण दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 5 अगस्त, 2010 तक लंबित है ? (ख) प्रकरणों के लंबित होने के क्या कारण हैं ? प्रकरणवार जानकारी प्रदान करें.

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी 2009 से 5 अगस्त 2010 की अवधि में (1) प्रस्तावित जय मछुवा सहकारी समिति मर्या. अरण्ड, (2) प्रस्तावित मछुवा सहकारी समिति मर्या. गांजर, के पंजीयन संबंधी प्रकरण लंबित है. (ख) उक्त दोनों प्रकरणों में छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप प्रकरण लंबित है.

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के पटवारी हल्कों का कम्प्यूटरीकरण

10. (*क्र. 208) **श्री संतोष बाफना :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने पटवारी हल्का है नाम सहित बताएं ? इनमें से कितने पटवारी हल्कों का नक्शा सहित शत प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण हो गया है तथा कौन-कौन से शेष हैं ? (ख) कौन-कौन से पटवारी हल्कों के कृषकों को नक्शा, खसरा, बी-01, कम्प्यूटर द्वारा प्रदाय करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) प्रश्नांश में दर्शित विधान सभा क्षेत्र में कुल 37 पटवारी हल्के स्थित है. उक्त पटवारी हल्कों का नक्शा सहित शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण किसी भी गांव में पूर्ण नहीं हुआ है. पटवारी हल्कों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) उक्त सभी पटवारी हल्कों के कृषकों को खसरा, बी-1 कम्प्यूटर द्वारा प्रदाय करने की सुविधा है.

प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या एवं बलात्कार की घटनाओं की जानकारी

11. (*क्र. 139) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जुलाई, 2010 से 15-11-10 तक की अवधि में प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या एवं बलात्कार की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) घटित उक्त वारदातों में कितने आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही है, कितने पुलिस गिरफ्तार से बाहर हैं ? (ग) दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 को रायगढ़ स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक डकैती में कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है ? क्या डकैती की राशि जब्त की गई है ? यदि हां, तो राशि की जानकारी दें.

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जुलाई, 2010 से 15-11-10 तक की अवधि में प्रदेश में लूट-214, डकैती-45, हत्या-394 एवं बलात्कार के-358 घटनाएं हुई हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) घटित उक्त वारदातों में लूट-282, डकैती-166, हत्या-500 एवं बलात्कार-342 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एवं उक्त वारदातों में लूट-115, डकैती-358, हत्या-286 एवं बलात्कार-101 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है. पुलिस गिरफ्तार से बाहर है. (ग) दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को रायगढ़ स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में डकैती की नहीं बल्कि 04 आरोपी होने के कारण लूट का प्रकरण अपराध क्र.-687/10 धारा 342, 347, 394 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है. आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है. उक्त प्रकरण में अभी तक लूट की राशि जप्त नहीं हुई है.

रायगढ़ जिले के जेल में मौत की जांच

12. (*क्र. 75) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में 2008 से 15-11-10 तक जेल में कितनी मौतें हुई हैं ? मृतक का नाम, मृत्यु तिथि एवं मौत के कारण सहित वर्षवार एवं जेलवार विवरण देवें. (ख) क्या मौत के प्रकरणों की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम बतावें. (ग) जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) रायगढ़ जिले में स्थित जिला जेल रायगढ़ में 2008 से 15-11-10 तक जेल में एक भी मौतें नहीं हुईं वरन उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय रायगढ़ में कुल 03 बंदियों की मौतें हुई हैं. मृतक बंदियों के नाम, मृत्यु तिथि एवं मौत का कारण सहित वर्षवार एवं जेलवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	वर्ष (3)	मृतक बंदी का नाम (4)	मृत्यु तिथि (5)	मौत का कारण (6)
1.	जिला जेल रायगढ़	2008	_____	निरंक	_____
2.	जिला जेल रायगढ़	2009	चंदन सिंह सिदार आ. परमानंद सिदार	06-03-09	Asphyxia due to chronic lung disease.
3.	जिला जेल रायगढ़	2010	चैतन चौहान आ. बिरतिया भगत	19-01-10	Cardio respiratory failure due to Cardiac arrest.
4.	जिला जेल रायगढ़	2010	मित्रभान राठिया आ. मधूसूदन राठिया	10-07-10	पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु का कारण निश्चित नहीं बताया गया है. मृतक बंदी का विसरा संरक्षित कर हिस्टोकेमिकल जांच के लिये भेजा गया है. मृत्यु की प्रकृति (Mode) ऐसफेकसिया बताया गया है.

(ख) जी, हां मौत के प्रकरणों की जांच की गई है, जांच अधिकारी का नाम एवं पद का नाम निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	मृतक बंदी का नाम (2)	जांच की गई ? (3)	जांच अधिकारी का नाम एवं पदनाम (4)
1.	चंदन सिंह सिदार आ. परमानंद सिदार	हां	श्री ए. के. धृतलहरे, सिटी मजिस्ट्रेट, रायगढ़, छ. ग.
2.	चैतन चौहान आ. बिरतिया भगत	हां	श्री एस. के. शर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़, छ. ग.
3.	मित्रभान राठिया आ. मधूसूदन राठिया	हां	श्री ओ. पी. वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़, छ. ग.

(ग) उक्त तीनों बंदियों के मृत्यु के प्रकरण में हुए दंडाधिकारी जांच में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सामग्री में मिलाव के पंजीबद्ध प्रकरण

13. (*क्र 58) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र

के अन्तर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में 15-11-2010 की स्थिति में मिलावटी खाद्य सामग्री के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? विकासखण्डवार बतायें ? (ख) उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2008-09 में निरंक एवं वर्ष 2009-10 में भाटापारा विकासखण्ड में 01 तथा वर्ष 2010-11 में दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में निरंक प्रकरण. (ख) प्रकरण विवेचना में है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था तथा रिक्त पदों की पूर्ति

14. (*क्र. 130) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के अन्तर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 2008, 2009, 2010 एवं 2011 में भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाने के लिए कुल कितने भवन एवं राशि स्वीकृत की गई है तथा भवनों की क्या स्थिति है ? (ख) सिहावा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने रिक्त पद हैं ? रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 34 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु राशि रुपये 574.89 लाख. 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन, 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण, 04 उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन, 20 उप स्वास्थ्य केन्द्र निविदा प्रक्रिया में है. (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 31 पद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 33 पद एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 66 पद रिक्त हैं. निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

रायपुर जिले अंतर्गत खाद्य सामग्री में मिलावट के पंजीबद्ध प्रकरण

15. (*क्र. 327) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले अंतर्गत 1 जनवरी, 2010 से 15 जनवरी, 2010 तक खाद्य सामग्री में मिलावट के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा कितने पर कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये. दोनों प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है.

रायगढ़ जिले में पात्र हितग्राहियों को पेंशन की स्वीकृति

16. (*क्र. 39) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले के रायगढ़ शहर, ग्रामीण रायगढ़, पुसौर एवं बरमकेला विकासखंड में 01 अप्रैल, 09 से 31 अक्टूबर, 10 तक रायगढ़ शहर में एवं उपरोक्त तीनों विकासखंडों में कितने-कितने पात्र नये हितग्राही को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी सुखद सहारा, विधवा, परित्यक्ता पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के सचिवों ने जनपद पंचायतों में जमा किया है ? जांच में कितने हितग्राही पात्र पाये गये, कितने स्वीकृत प्रकरणों को कब-कब से पेंशन प्रदाय प्रारंभ किया गया ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

प्रदेश में मलेरिया से हुई मौतें

17. (*क्र. 83) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेण्डर वर्ष 2004 से 2009 तक तथा वर्ष 2010 में (15-11-2010) तक प्रदेश में मलेरिया से कितनी मौतें हुई हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक क की अवधि में मलेरिया पीड़ितों के कितने स्लाईड्स तैयार किये गये तथा उसमें से मलेरिया के कितने प्रकरण पाजीटीव पाये गये ? जिलेवार जानकारी दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2004 से 2009 तक 26 तथा वर्ष 2010 में (15-11-2010) तक 24 मौतें हुई हैं. †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार. (ख) वर्ष 2004 से 2009 तक 2,14,44,684 तथा वर्ष 2010 में (15-11-2010) तक 29,27,396 स्लाईड्स तैयार किये गये हैं एवं वर्ष 2004 से 2009 तक 10,13,446 तथा वर्ष 2010 में (15-11-10) तक 1,22,939 प्रकरण पाजीटीव पाये गये. †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में स्मार्ट कार्ड के वितरण

18. (*क्र. 19) **श्री सौरभ सिंह** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किस-किस गांव में कितने “स्मार्ट कार्ड” चिन्हांकित हितग्राहियों को कार्ड का वितरण करना शेष है ? (ख) “स्मार्ट कार्ड” बनाने और वितरण करने का कार्य जांजगीर-चांपा जिले में किस एजेन्सी को कब तक पूर्ण करने के लिए दिया गया था ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) बीमा कम्पनी टाटा-ए.आई.जी. को दिनांक 30-04-2010 तक.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनाथ हुए बच्चों के लिए संचालित योजनाएं

19. (*क्र. 178) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नक्सल प्रभावित इलाकों में अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? 15-11-10 तक कितने बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है ? (ख) कंडिका “क” के बच्चों के लिए शिक्षा-दीक्षा और खान-पान के लिए क्या सामाजिक संस्थाओं को भी अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन सामाजिक संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं वर्ष 2010 में 15-11-10 तक दी गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क)

1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए वर्तमान में कोई विशेष योजना संचालित नहीं की जा रही है.
2. आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में अनाथ हुए बच्चों के शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (आस्था) अंतर्गत दंतेवाड़ा में गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है जिसमें 177 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं. इसी तरह नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के बच्चों को “निष्ठा” के अंतर्गत राजनांदगांव में अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से पढ़ाया जा रहा है, इसमें 142 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं. तथा
3. राजीव गांधी शिक्षा मिशन दंतेवाड़ा द्वारा वैकल्पिक एवं नवाचारी योजना के तहत 50 अनाथ बच्चों को लाभ दिया जा रहा है.

(ख) कंडिका “क” के बच्चों के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन दंतेवाड़ा द्वारा बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और खानपान के लिए टूमारो फाउण्डेशन 417 होसेनपुर, कलकत्ता को वर्ष 2009-10 में 3,40,000 रुपये का अनुदान दिया गया है.

राजनांदगांव जिले में शासकीय जिला चिकित्सालय के सामने स्थित शराब दुकान को हटाने की कार्यवाही

20. (*क्र. 168) **श्री भोलाराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में शासकीय जिला चिकित्सालय के सामने बसन्तपुर रोड पर स्थित शराब दुकान को हटाने के संबंध में शासन को वर्ष 2007, 2008, 2009 एवं 2010 में दिनांक 15-11-2010 तक की स्थिति में किन-किन व्यक्तियों/सामाजिक संस्थाओं/समितियों द्वारा आवेदन या ज्ञापन दिया गया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : वर्ष 2007 एवं 2008 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. वर्ष 2009 में 01 एवं वर्ष 2010 में दिनांक 15-11-2010 तक 02 शिकायत प्राप्त हुई. की गई कार्यवाही की †† संलग्न जानकारी परिशिष्ट पर दर्शित है.

अवैध शराब विक्रय को रोकने हेतु एच. एम. स्ववाड का गठन

21. (*क्र. 154) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश स्तर पर अवैध

शराब बिक्री करने वालों को पकड़ने के लिए एच. एम. स्क्वाड का गठन किया गया है ? यदि हां तो, इनमें किस स्तर के, किन-किन अधिकारियों को पदस्थ किया गया है ? इसका गठन किस अवधि के लिए किया गया है ? (ख) उक्त स्क्वाड द्वारा प्रदेश स्तर पर किन-किन स्थानों में कितनी अवैध शराब बिक्री के प्रकरण दर्ज किए गए हैं ? किन-किन पर, क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या एच. एम. स्क्वाड द्वारा अवैध शराब के अलावा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरणों में कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो, पृथक-पृथक जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री एवं जुआ, सट्टा के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक छ.ग. रायपुर द्वारा दिनांक 21-4-2010 को स्पेशल स्क्वाड का गठन किया गया है. वर्तमान में इस स्क्वाड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दी गई है. यह स्पेशल स्क्वाड गठन के बाद से निरंतर कार्यशील है. (ख) उक्त स्क्वाड द्वारा प्रदेश स्तर पर कुल 420 प्रकरण अवैध शराब बिक्री के दर्ज किए गए हैं. जिसमें शराब की कुल मात्रा 8744 बोतल एवं बिक्री की कुल राशि 140290/- रु. जब्त किया गया है. स्थानों की एवं आरोपियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दी गई है. (ग) जी हां. अवैध शराब के अलावा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के अंतर्गत अवैध गांजा की बिक्री के प्रकरण स्वापक एवं मनोतेजक पदार्थ अधिनियम के धारा 20 “क” के तहत 3 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” में दी गई है.

बस्तर में गांजा तस्करी के दर्ज प्रकरण

22. (*क्र. 209) **श्री संतोष बाफना :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 के नवम्बर, 2010 तक किन-किन थाना क्षेत्रों में गांजा तस्करी के कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में कितनी-कितनी राशि का गांजा, किन-किन प्रकरणों में जब्त किया गया, तिथिवार व थानावार जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 एवं 15 नवंबर 2010 तक बस्तर जिले के विभिन्न थानों में गांजा तस्करी के कुल 125 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है.

रायगढ़ जिले में हुई बैंक डकैतियां

23. (*क्र. 76) **श्री हृदयराम राठिया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2008 से दिनांक 18-11-2010 तक कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं ? तिथिवार बैंक के नाम सहित जानकारी दें. (ख) उक्त डकैतियों के कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं तथा कितनी डकैतियों के आरोपी अभी भी फरार हैं ? (ग) फरार अपराधियों को पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में एक भी डकैती नहीं हुई है. (ख) एवं (ग) प्रश्नांश “क” के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

निर्माणाधीन रायगढ़ मेडिकल कालेज, हास्टल, स्टाफ क्वार्टर एवं अन्य निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

24. (*क्र. 38) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ मेडिकल कॉलेज भवन, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर एवं अन्य भवन निर्माण कार्य की कार्यादेश तिथि, भवन निर्माण की लागत, कार्य पूर्ण करने की स्थिति तथा 30-10-10 की स्थिति में निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या-क्या है ? (ख) भवन निर्माण के लिए किस स्थान पर कितनी शासकीय भूमि किस-किस किस्म की विभाग को स्थानांतरित की गयी है ? (ग) पूर्व में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए लोहरसिंग ग्राम में स्वीकृत आहाता युक्त भूमि का रकबा क्या है तथा उक्त भूमि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है ? (घ) एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष की पढ़ाई कब तक प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कार्यादेश की तिथि 20-01-2010, कार्य की लागत राशि रुपये एक सौ छैः करोड़, पैंतीस लाख, तिरासी हजार, दो सौ अड़तीस हैं. कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि 19-07-2012, कार्य की अद्यतन स्थिति-भवनों की नींव कार्य प्रगति पर है. (ख) न्यायालय कलेक्टर रायगढ़ रा.प्र.क्र. 1/अ-19/(1)/05-06 आदेश दिनांक 17-11-2005 के अनुसार ग्राम बेन्द्राचुओं

प.ह.नं. 13 तहसील व जिला रायगढ़ स्थित शासकीय भूमि ख. नं. 20/3, 20/4, 20/05, 20/06, 20/07, 31, 33/1 रकबा क्रमशः 0.162 हे., 0.081 हे, 0.405 हे., 0.202 हे., 5.843 हे., 2.080 हे., 7.413 हे. कुल ख. नं. 7 कुल रकबा 16.186 हे. भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर के नाम से हस्तांतरित की गई है. (ग) लोहरसिंग ग्राम में मेडिकल कॉलेज हेतु आहाता युक्त भूमि का रकबा 10.117 हे. है. उक्त भूमि में धान खरीदी संग्रहण केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है. (घ) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012 में प्रथम वर्ष की पढ़ाई प्रारंभ करने का लक्ष्य नियत किया गया है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सुखद सहारा योजना के लंबित प्रकरण

1. (क्र. 28) श्री सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किस-किस गांव में कितनी महिलाओं को "सुखद सहारा योजना" के तहत पेंशन प्रदान की जा रही है ? (ख) किस-किस गांव के कितने आवेदन के प्रकरण लंबित हैं ? इनकी स्वीकृति कब तक की जाएगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. स्वीकृति प्रक्रियाधीन है.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत "रेडी टू इट" भोजन प्रदान करने का ठेका

2. (क्र. 29) श्री सौरभ सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में "रेडी टू इट" भोजन प्रदाय करने का ठेका किन-किन व्यक्तियों और एजेंसियों को किस दर से क्या-क्या खाद्य सामग्री प्रदान करने का ठेका कब से दिया गया है ? (ख) क्या इस ठेके के लिए निविदा बुलाई गयी थी ? यदि हां तो, किस-किस तारीख को ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-इट फूड प्रदाय करने का कार्य महिला स्व. सहायता समूहों को दिया गया है, जिसका विवरण, कार्य प्रदाय करने की तिथि सहित † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. महिला स्व. सहायता समूहों को रुपये 27.30 प्रति किलो ग्राम की दर से रेडी-टू-इट फूड प्रदाय करने का कार्य दिया गया है. (ख) इस कार्य के लिये कोई निविदा नहीं बुलाई गई थी. महिला स्व. सहायता समूहों के अभिरूचि के प्रस्ताव संचालनालय द्वारा दिनांक 11-6-2009 तक मंगाया गया था जिसे बढ़ाते हुए 20-6-2009 तक किया गया. जिला स्तर से दिनांक 10-6-2009 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 13-6-2009 तक विकासखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने का लेख किया गया जिसे बढ़ाते हुए 22-6-2009 किया गया था.

शासकीय किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय रायगढ़ के जीवन दीप समिति की आहूत बैठकें

3. (क्र. 48) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासकीय किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय रायगढ़ के जीवन दीप समिति की सामान्य सभा की बैठक 01 जनवरी, 2009 से 30-11-2010 तक कब-कब आहूत की गयी ? बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये, नियम में कितने समय पश्चात् सामान्य सभा की बैठक का प्रावधान है ? (ख) उपरोक्त 22 माह की अवधि में जीवन दीप समिति को राज्य शासन से तथा मरीजों के पंजीयन से या अन्य स्रोत से माहवार कितना-कितना आय प्राप्त हुई तथा किस-किस मद में कितना-कितना खर्च हुआ ? दिनांक 01-11-2010 की स्थिति में कितनी राशि शेष ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. सामान्य सभा की बैठक का आयोजन वर्ष में 4 बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है. (ख) ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. रुपये 37,85,730.48 शेष है.

विभाग द्वारा गठित विशेष दल (स्पेशल स्क्वाड) द्वारा की गई कार्यवाही

4. (क्र. 49) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गृह विभाग द्वारा शराब की अवैध बिक्री, जुआ, सट्टा एवं कबाड़ियों के दुकान में चोरी के माल तथा ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए बनाये गये स्पेशल स्क्वाड द्वारा प्रदेश में जिलेवार कितने-कितने प्रकरण वर्ष 2010-11 में बनाये गये हैं ? दिनांक 15-11-2010 तक कितनी राशि की वसूली एवं सामग्री की जप्ती की गयी है ? (ख) कितने ओवरलोड वाहनों पर दिनांक 15-11-2010 तक कार्यवाही की गयी ? कितनों से समन्स शुल्क वसूली किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ननकौराम कंवर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में शराब की अवैध बिक्री, जुआ, सट्टा एवं कबाड़ियों के दुकान में चोरी के माल तथा ओवरलोड वाहन की जांच के प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में दी गई है. गठन के पश्चात् दिनांक 15-11-2010 तक प्रदेश स्तर में इनके द्वारा आवकारी अधिनियम में कुल 420 प्रकरण दर्ज कर 8,744 बाटल अवैध शराब एवं बिक्री राशि 1,40,290/- रु., जुआ एक्ट के 3 प्रकरण में 15 आरोपी गिरफ्तार कर 24,915 रु., जब्त की गई. जुआ एक्ट (सट्टा) के 22 प्रकरण में 22

आरोपियों को गिरफ्तार कर 31,850 रु. जब्त किया गया है. कबाड़ियों के विरुद्ध 2 प्रकरण दर्ज कर 4 टन लोहा चोरी के जब्त कर कार्यवाही की गयी है. प्रदेश स्तर में उपरोक्त अवधि में 422 ओवर लोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, जिनमें से 419 वाहनों से 52,69,500/- रुपये सम्मन शुल्क वसूल की गई शेष 3 वाहनों के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है. (ख) दिनांक 15-11-2010 तक कुल 422 ओवर लोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया है. जिसमें से 419 वाहनों से 52,69,500/- रुपये सम्मन शुल्क वसूल किया गया है. शेष 3 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.

रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग अंतर्गत सीमांकन/नामांतरण/बंटवारे के लंबित प्रकरण

5. (क्र. 69) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले के भाटापारा अनुभाग के अंतर्गत तहसील/उप तहसील में अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के कुल कितने प्रकरण दिनांक 18-11-2010 की स्थिति में पटवारी हल्कावार लंबित है ? लंबित रहने के क्या कारण हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या

6. (क्र. 70) **श्री चैतराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा, निराश्रित वृद्धा पेंशन योजनांतर्गत दिनांक 18-11-2010 की स्थिति में पेंशनधारियों की संख्या कितनी हैं ? जनपद पंचायतवार बतावें. (ख) उपरोक्त योजना के पेंशनधारियों को प्रतिमाह किस तारीख तक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उर्सेडी) : (क) भाटापारा विधान सभा के क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 18-11-2010 की स्थिति में पेंशनधारियों की संख्या जनपद पंचायतवार निम्नानुसार है :-

क्रमांक	योजना का नाम	जनपद पंचायत भाटापारा	जनपद पंचायत सिमगा	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	890	209	1099
2.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1594	785	2379
3.	सुखद सहारा योजना	865	612	1477
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	4126	2853	6979

(ख) पेंशनधारियों को प्रतिमाह 07 तारीख तक भुगतान किये जाने का प्रावधान है.

भाटापारा एवं सिमगा विकासखण्ड में बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड का वितरण

7. (क्र. 71) **श्री चैतराम साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विकासखंड एवं सिमगा विकासखंड में कितने स्मार्ट कार्ड बनाये जाने थे ? कितने स्मार्ट कार्ड बनाकर बी.पी.एल. परिवारों को वितरण किये गये ? कितने परिवार शेष हैं ? (ख) स्मार्ट कार्ड से वंचित परिवारों को कब तक स्मार्ट कार्ड वितरण किये जायेंगे ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) भाटापारा में 20,226 एवं सिमगा में 21,333 बनाये जाने थे. भाटापारा में 11,068 एवं सिमगा में 9130 वितरित किया गया. भाटापारा में 9158 एवं सिमगा में 12,203 शेष है. (ख) यथाशीघ्र. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिले में संचालित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति

8. (क्र. 77) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कितने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ? (ख) कितने स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं अन्य पद रिक्त हैं ? कितने चिकित्सकों के पदों के विरुद्ध संविदा चिकित्सक कार्यरत हैं ? (ग) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जावेगी ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र. (ख) 35 स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं 53 स्वास्थ्य केन्द्रों में अन्य पद रिक्त हैं. 25 चिकित्सकों के पदों के विरुद्ध. (ग) निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है.

प्रदेश में वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में घटित नक्सली घटनाओं की जानकारी

9. (क्र. 93) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में कब-कब कहां-कहां नक्सली घटनायें हुई हैं ? उन घटनाओं में कितने आम नागरिक, पुलिस व सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुये हैं ? घटना दिनांक स्थान तथा मृतकों के नाम सहित उनके आश्रितों को प्रदत्त मुआवजा राशि की जानकारी दें. (ख) वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में 15-11-2010 तक चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, नकबजनी, लूट, आदिवासी अत्याचार की कितने घटनाएं हुई हैं ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें.

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में है.

प्रदेश में रेडी टू ईट योजना हेतु फर्मों/प्रदायकर्ताओं की जानकारी

10. (क्र. 94) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रेडी-टू-ईट योजना कब से लागू की गई है ? इस योजना के तहत हितग्राहियों को पोषण आहार वितरण करने हेतु किन-किन फर्मों को कार्य दिया गया है ? उनके नाम, पते सहित विवरण दें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंड़ी) : प्रदेश में रेडी-टू-ईट फूड योजना 1 सितंबर 2009 से लागू की गई है. हितग्राहियों को पोषण आहार प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ताओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.

रायगढ़ जिला में जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही

11. (क्र. 145) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिला अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 15-11-10 तक की अवधि में कितनी महिलाओं को लाभ दिया गया है ? विकासखंडवार हितग्राहियों की जानकारी दें. (ख) क्या जिला में प्रश्नांकित योजना के तहत उक्त अवधि में हितग्राहियों से राशि वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों से एवं शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2009-10 में 16,445 एवं वर्ष 2010-11 में 15-11-2010 तक की अवधि में 11,385 महिलाओं को लाभ दिया गया. † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों की व्यवस्था

12. (क्र. 146) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें. (ख) संचालित

आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने भवन विहीन हैं ? कितने आंगनगाड़ी किराए के भवन में संचालित हैं तथा कितने केन्द्र बरामदे में संचालित हैं ? (ग) क्या भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति मिली हुई है ? यदि हां, तो कितने नए भवन की स्वीकृति हुई है एवं कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) रायगढ़ जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कुल 2126 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 869 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं. 452 आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवन में संचालित हैं तथा 54 आंगनबाड़ी केन्द्र बरामदे में संचालित हैं. (ग) जी हां. भवनविहीन 869 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 348 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, जिसे पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल के पुलिस थाना एवं चौकियों में स्वीकृत तथा रिक्त पद

13. (क्र. 157) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर के विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल अंतर्गत कितने पुलिस थाना और चौकी हैं ? इनमें कितने पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कार्यरत हैं ? रिक्त पदों की जानकारी दें ? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ? (ख) विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल अंतर्गत सत्र 2010 में शासन द्वारा कहां-कहां पर नवीन पुलिस थाना एवं चौकियां स्वीकृत की गई हैं ? इन्हें कब तक प्रारंभ कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जिला रायपुर के विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 02 थाना तथा 01 चौकी तथा कसडोल विकासखण्ड में 01 थाना तथा 03 चौकियां हैं. इन थाना चौकियों में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती उपरांत एवं नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण कराये जाने के पश्चात् की जावेगी. (ख) निरंक.

जिला रायपुर एवं जांजगीर-चांपा में आपदा प्रबंधन हेतु स्वीकृत राशि

14. (क्र. 158) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर एवं जांजगीर-चांपा के किन-किन विकासखण्डों के कौन-कौन से ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2009-2010 एवं 2010-11 (माह अक्टूबर 2010 तक) में कितनी-कितनी राशि आपदा प्रबंधन हेतु स्वीकृत हुई है ? (ख) उक्त स्वीकृत राशि में क्या-क्या कार्य, किस एजेंसी के माध्यम से कराये गये हैं ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें.

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2009-10 में जिला रायपुर हेतु रुपये 1934.98 लाख तथा जांजगीर-चांपा हेतु रुपये 167.00 लाख एवं वर्ष 2010-11 (माह अक्टूबर तक) जिला रायपुर हेतु रुपये 1694.71 लाख तथा जांजगीर-चांपा हेतु रुपये 504.12 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है. (ख) उक्त राशि से कराये गये कार्य एवं कार्य एजेंसी का नाम विकासखण्डवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु चयनित होने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रदत्त सुविधाएं/सहायता

15. (क्र. 170) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये चयनित होने पर शासन द्वारा उन्हें प्रतियोगिता के पूर्व तैयारी हेतु क्या-क्या सुविधाएं/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है जानकारी प्रदान करें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये चयनित होने पर शासन द्वारा उन्हें प्रतियोगिता के पूर्व तैयारी हेतु विभागीय मान्यता एवं आर्थिक सहायता नियम, 2007 के तहत प्रतियोगिता में भाग लेने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण हेतु प्रति सदस्य 100/- रुपये प्रतिदिन के मान से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है.

जिला रायपुर में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

16. (क्र. 181) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर में वर्ष 2009-10 एवं दिनांक 15-11-2010 तक अवैध शराब बिक्री के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? विकासखण्डवार बतावें ? (ख) अवैध शराब बिक्री के मामले क्या शहरी क्षेत्र के होटल/ढाबे में भी दर्ज किए गए ? यदि हां, तो कहां-कहां ? (ग) कंडिका “क” के दर्ज प्रकरणों में कुल कितनी अवैध शराब जब्त की गई और अपराधियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला रायपुर के किसी भी विकासखण्ड में प्रश्नांकित अवधि में अवैध शराब बिक्री का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया. विकासखण्डवार जानकारी निरंक है. (ख) जी नहीं. (ग) कंडिका “क” में कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला रायपुर के शासकीय चिकित्सालयों में जीवनदीप समितियों का गठन

17. (क्र. 182) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रायपुर जिले के विकासखण्ड-तिल्दा, धरसीवा, आरंग, सिमगा के शासकीय चिकित्सालयों में जीवनदीप समितियों का गठन किया गया है ? यदि हां तो कब-कब ? इसके पदाधिकारियों, सदस्यों के नाम अस्पतालवार बतावें ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी हां. पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बस्तर जिले में निर्मित स्मार्ट कार्ड तथा उनकी वैधता

18. (क्र. 210) **श्री संतोष बाफना** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने स्मार्ट कार्ड बनाये जाने थे ? कितने स्मार्ट कार्ड बनाकर बी.पी.एल. परिवारों को वितरण किये गये ? (ख) कितने परिवार शेष रह गये ? (ग) जो परिवार स्मार्ट कार्ड से वंचित रह गये हैं उन्हें कब तक वितरण किया जायेगा ? (घ) स्मार्ट कार्ड की वैधता काल (वैलिडिटी टाइम) के क्या नियम हैं ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 33468 स्मार्ट कार्ड बनाये जाने थे. 20-11-2010 की स्थिति में 13709 स्मार्ट कार्ड वितरित किये गये. (ख) 19759 परिवार. (ग) यथाशीघ्र शेष कार्ड वितरित किये जाएंगे. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (घ) स्मार्ट कार्ड जिले की पालिसी अवधि के अनुसार एक वर्ष के लिये वैध होता है, पालिसी अवधि की समाप्ति के बाद स्मार्ट कार्ड का नवीनीकरण किया जाता है.

आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बैंक सोसायटी के माध्यम से संचालित धान खरीदी केन्द्र

19. (क्र. 271) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बैंक सोसायटी के द्वारा कितने धान खरीदी केन्द्र किन-किन ग्राम पंचायतों में संचालित हैं ? (ख) विधान सभा क्षेत्र आरंग में बैंक सोसायटी को कितने मात्रा में कितने बारदाना वर्ष 2010 में उपलब्ध कराए गए हैं ? सोसायटी के नाम एवं किस-किस सोसायटी में कितने-कितने बारदाने की खरीदी की गई ?

गृह मंत्री (श्री ननकीराम कंवर) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन व्यवस्था

20. (क्र. 354) **श्री पेश बागबाहरा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? शासकीय मापदण्डों के अनुसार किन-किन ग्रामों में

इन केन्द्रों के संचालन की आवश्यकता है ? (ख) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 29-07-2010 को 28 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये थे ? क्या ये केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं ? यदि नहीं तो कब तक संचालन प्रारंभ कर दिया जावेगा ? (ग) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में संचालित भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल कितने भवनों का निर्माण प्रक्रियाधीन है एवं कब तक इसकी स्वीकृति कर दी जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में कुल 374 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. शासकीय मापदण्डों के अनुसार, जिन ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की आवश्यकता है, उन ग्रामों की सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 29-7-2010 को जारी आदेश अनुसार 16 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए गए थे. ये केन्द्र वर्तमान में संचालित नहीं हैं. केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है. नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केन्द्रों का संचालन प्रारंभ होगा, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में संचालित भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 171 भवनों का निर्माण प्रक्रियाधीन है. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “एक”

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 184) की जानकारी]

कचना स्थित “एफ” श्रेणी से नीचे आवंटित आवासगृहों की जानकारी

शासकीय आवास आवंटन की बैठक दिनांक	शासकीय आवास आवंटन दिनांक
24-01-09	24-02-09
30-05-09	10-06-09, 17-06-09 एवं 19-06-09.
10-05-10	10-05-10 की बैठक में आवंटित आवास का आवास आवंटन आदेश स्थगित रखा गया है.

कचना स्थित “एफ” श्रेणी से ऊपर आवंटित आवासगृहों की जानकारी

शासकीय आवास आवंटन की बैठक दिनांक (1)	शासकीय आवास आवंटन दिनांक (2)
29-11-08	29-11-08
15-01-09	15-01-09
28-01-09	28-01-09
25-04-09	25-04-09
12-05-09	12-05-09
23-07-09	23-07-09
28-07-09	28-07-09
17-08-09	17-08-09
22-08-09	22-08-09
03-09-09	03-09-09
15-09-09	15-09-09
19-11-09	19-11-09
08-01-10	08-01-10
08-03-10	08-03-10
18-05-10	18-05-10
15-07-10	15-07-10
26-07-10	26-07-10
17-08-10	17-08-10
27-08-10	27-08-10
06-09-10	06-09-10
27-09-10	27-09-10
27-11-10	27-11-10

परिशिष्ट “दो”
[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 18) की जानकारी]

क्र.	तहसील	कोटवार		पटवारी		नायब तहसीलदार		तहसीलदार	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	जांजगीर	62	01	17	05	02	02	01	-
2.	नवागढ़	85	01	25	06	02	02	01	01
3.	अकलतरा	82	01	24	06	01	01	01	-
4.	बलौदा	57	02	16	03	01	01	01	-
5.	चांपा	94	0	27	09	01	01	01	-
6.	सक्ती	119	05	20	03	01	01	01	-
7.	मालखरौदा	136	05	20	07	02	02	01	-
8.	जैजैपुर	108	02	30	10	01	01	01	-
9.	पामगढ़	84	01	27	04	02	02	01	-
10.	डभरा	155	-	26	03	01	-	01	-
11.	उ. त. शिवरी	-	-	-	-	01	-	-	-
12.	उ. त. बम्हनी	-	-	-	-	01	-	-	-
13.	उ. त. न. बारा	-	-	-	-	01	01	-	-
14.	उ. त. हसौद	-	-	-	-	01	01	-	-
15.	उ. त. चन्द्रपुर	-	-	-	-	01	-	-	-
योग		982	18	232	56	19	15	10	01

परिशिष्ट “तीन”

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 177) के भाग (क) की जानकारी]

“ स्पेशल स्क्वाड ” द्वारा दिनांक 23-10-2010 को खरोरा के ढाबा में कार्यवाही करने वाले अधि./कर्म. की सूची

क्रमांक (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	लता चौरै	निरीक्षक
2.	मीलू राम कंवर	सहायक उप निरीक्षक
3.	संजय भगत	प्रधान आरक्षक 880
4.	विजय बंजारे	आरक्षक 1079
5.	संदीप यादव	आरक्षक 2410
6.	श्रीकांत पटेल	आरक्षक 2415
7.	बजरंग डिकसेना	आरक्षक 2420
8.	डिग्री लाल भोई	आरक्षक 834

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 167) की जानकारी]

खुब्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2010 में दिनांक 15-11-2010 तक की स्थिति में अवैध शराब बेचने की प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	अवैध शराब बेचने के संबंध में प्राप्त शिकायतकर्ता का नाम/पता	शिकायत प्राप्त का दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत से संबंधित ग्राम का नाम	शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	जप्त मदिरा की मात्रा	पी. 8 क्रमांक एवं दिनांक	न्यायालय के प्रकरण क्रमांक व दिनांक	न्यायालय द्वारा पीरत निर्णय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अध्यक्ष, सोनबती बाई सहायता ग्राम बेलरगोंदी वि. खं. छुरिया जिला- राजनांदगांव.	26-04-10	ग्राम बेलरगोंदी में वेद प्रकाश, संतोष कुमार, अमर आ. माखन सोनी द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	बेलरगोंदी	दिनांक 02-05-2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा वेद प्रकाश, संतोष कुमार, अमर आ. माखन सोनी के घर की तालाशी लेने पर किसी भी प्रकार की मदिरा बरामद नहीं हुई. खाली तलाशी का पंचनामा बनाया गया.	निरंक	0/10 दिनांक 02-05-10	निरंक	निरंक
2.	खिलेश्वर साहू सरपंच ग्राम पंचायत सालहेटोला वि. खं. छुरिया जिला-राजनांदगांव.	05-05-10	ग्राम सालहेटोला में अवैध शराब बिक्री बंद कराने बाबत.	सालहेटोला	दिनांक 24-05-2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा शिकायत अनुसार जांच करने पर शिकायत गलत पायी गई. इस संबंध में ग्राम सालहेटोला के सरपंच द्वारा लिखित में सूचित किया है, कि मेरे ग्राम पंचायत में अवैध मदिरा विक्रय से संबंधित कोई शिकायत नहीं की गई है.	निरंक	0/10 दिनांक 24-05-10	निरंक	निरंक
3.	श्रीमती साधना सिंह पार्षद वार्ड नं. 11 अं. चौकी.	18-05-10	अं. चौकी के गली मोहल्ले में खुली शराब धडल्ले से बेची जाने का शिकायत.	अं. चौकी	दिनांक 31-05-2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा राजू खान के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	900 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	29/ दिनांक 31-05-10	न्यायालय में लंबित.	न्यायालय में लंबित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	समस्त महिला समूह ग्राम बेलरगोंदी.	01-06-10	ग्राम बेलरगोंदी में वेद प्रकाश, संतोष कुमार, अमर आ. माखन सोनी द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	बेलरगोंदी	दिनांक 11-06-2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा वेद प्रकाश, संतोष कुमार, अमर आ. माखन सोनी के घर की तालाशी लेने पर किसी भी प्रकार की मदिरा बरामद नहीं हुई. खाली तलाशी का पंचनामा बनाया गया.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	सरिना बाई अध्यक्ष माँ बम्बेलश्वरी स्वयं सहायता समूह.	17-06-10	ग्राम आटरा में अवैध शराब दुकान बंद कराने के संबंध में.	आटरा	दिनांक 30-06-2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा सेनदास के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	2.700 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	44/ दि.30-6-10	256/10 दि. 26-07-10	न्यायालय में लंबित.
6.	माननीय भोलाराम जी साहू विधायक विधान सभा क्षेत्र क्र. 77 खुज्जी.	05-07-10	ग्राम आतरगांव के सेवाराम निषाद द्वारा अवैध शराब बिक्री बंद कराने बाबत.	आतरगांव	दिनांक 21-07-2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा सेवाराम निषाद के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	1.180 लीटर देशी मदिरा मसाला	70/ दि. 21-07-10	905/10 दि. 12-08-10	न्यायालय द्वारा रु. 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
7.	दिनेश ताम्रकार शिवसेना प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अं. चौकी.	14-07-10	अं. चौकी शराब की सेम्पलिंग जांच एवं अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने बाबत.	अं. चौकी	दिनांक 31-08-2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा देवेन्द्र सिंह एवं संतोष के विरुद्ध कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	(1) 360.0 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन (2) 200.0 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	85/ दि. 31-08-10	-	न्यायालय में लंबित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				दिनांक 21-10-2010 को उप निरीक्षक द्वारा वार्ड नं. 13 के किशोर, वार्ड क्र. 3 के निर्मला यादव के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	आनंद	एम. एल. देशी मदिरा प्लेन (2)	120/ दि. 21-10-10 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन (2) 6 पाव एवं 100 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	उन निरीक्षक के पास लंबित	-
				इसी प्रकार दिनांक 15-11-2010 एवं 19-11-10 को अं. चौकी के सभी वार्ड पार्षदों से मिलने पर किसी प्रकार से मदिरा का अवैध विक्रय नहीं होना लिखित में प्रमाण पत्र दिया गया है.		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
				ग्राम आतरगांव में दिनांक 25-10-2010 को महेश कुमार चौहान दिनांक 15-11-2010 को नंदलाल जायसवाल के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.		(1) 6 पाव एवं 1 पाव लगभग 90 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन (2) 7 पाव 50 एम. एल. देशी मदिरा	(1) 121/ दि. 25-10-10 (2) 137/ दि. 15-11-10	(1) न्यायालय में लंबित (2) उप-निरीक्षक के पास लंबित.	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				ग्राम चिल्हाटी में दिनांक 28-10-2010 को महेन्द्र तिवारी दिनांक 16-11-2010 को कुंदन लाढे के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	(1) देशी मदिरा प्लेन (2)	(1) 123/40 पाव दि. 28-10-10 (2) 138 दि. 16-11-10. 6 पाव 80 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन	(1) 123/10-10 (2) 138 दि. 16-11-10.	(1) न्यायालय में लंबित (2) उप-निरीक्षक के पास लंबित	निरंक
				ग्राम दनगढ़ में दिनांक 25-10-2010 को चेतनलाल एवं दिनांक 16-11-10 को कलीमुद्दीन के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	(1) देशी मदिरा प्लेन (2)	(1) 122/29 पाव दि. 25-10-10. (2) 139/ प्लेन (2) 11-10 5 पाव 120 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	(1) 122/10-10. (2) 139/ दि. 16-11-10	(1) न्यायालय में लंबित (2) उप-निरीक्षक के पास लंबित.	निरंक
				ग्राम पागरी में दिनांक 29-10-2010 को चन्द्रकांत के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	7 पाव 90 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	127 दि. 29-10-10	न्यायालय में लंबित	निरंक	
				ग्राम आटरा एवं कौड़ी-कसा में जांच कार्यवाही करने पर सरपंच द्वारा किसी प्रकार से मदिरा का अवैध विक्रय नहीं होना लिखित में जानकारी दिया गया.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.	रितेश मेश्राम पार्षद नगर पंचायत अं. चौकी.	20-10-10	अं. चौकी में अवैध शराब के व्यापार को रोकने बाबत आमरण अनशन.	अं. चौकी.	दिनांक 21-10- 2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा आनन्द किशोर एवं निर्मला यादव के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर धारा 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	(1) 1.180 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन (2) 1.340 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	(1) 120/ दि. 21- 10-10 (2) 119/ दि. 21- 10-10.	न्यायालय में लंबित	निरंक
9.	समस्त ग्रामवासी ग्राम कल्लूबंजारी.	15-04-10	ग्राम कल्लू- बंजारी के जयंती बाई द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	कल्लूबंजारी	दिनांक 16-04- 2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा जयंती बाई के के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	60 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	16/ दि. 16- 04-10.	315/ दि. 03- 05-10	न्यायालय द्वारा रु. 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित क्रिया गया.
10.	समस्त ग्रामवासी ग्राम आतरगांव.	17-04-10	ग्राम आतर- गांव के सेवा राम निषाद द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	आतरगांव	दिनांक 18-04- 2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा सेवाराम निषाद के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	7 पाव 100 एम. एल. देशी मदिरा मसाला.	18/ दि. 18- 04-10.	348/ दि. 27- 04-10	न्यायालय द्वारा रु. 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित क्रिया गया.
11.	सेवा समिति इंदरा महिला मंडल सद्गुरु सहायता समूह.	22-04-10	ग्राम बम्हनी- भांठा के महेश कुमार गोड़ द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	बम्हनी- चारभांठा.	दिनांक 23-04- 2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा महेश कुमार गोड़ के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	6 पाव 100 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	19/ दि. 23- 04-10.	517/ दि. 11- 06-10	न्यायालय द्वारा रु. 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित क्रिया गया.
12.	श्री जी. आर. साहू ग्राम बेलरगोंदी, समस्त महिला समूह ग्राम बेलरगोंदी.	23-04-10	ग्राम बेलरगोंदी के वेदप्रकाश सोनी द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	बेलरगोंदी	दिनांक 25-04- 2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा वेदप्रकाश सोनी के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	7 पाव 30 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	20/ दि. 25- 04-10.	686/ दि. 13- 07-10	न्यायालय द्वारा रु. 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित क्रिया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
13.	श्री सूरजूराम दुधगन ग्राम साल्हे.	24-04-10	ग्राम साल्हे के सुरतियाबाई द्वारा अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	साल्हेटोला	दिनांक 2010 को उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा सुरतियाबाई पति गिरधर साहू के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही की गई. तलाशी खाली रही.	25-04-	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	नगर पंचायत अं. चौकी के समस्त पार्श्वों	10-11-10	ग्राम आतरगांव, चिल्हाटी, दनगढ़, मोंगरा, भडसेना, आटरा, आमाटोला एवं कोरचाटोला में अवैध शराब बिक्री करने की शिकायत.	आतरगांव, चिल्हाटी, दनगढ़, मोंगरा, भडसेना, आटरा, आमाटोला एवं कोरचाटोला इत्यादि गांव में.	दिनांक 2010 को उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम कोरचाटोला सेवाराम के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	21-11-	6 पाव 90 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	135/ दि. 14- 11-10	उप- निरीक्षक के पास लंबित	निरंक
					दिनांक 2010 को उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम आमाटोला के हीरालाल विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	14-11-	4 पाव 80 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	136/ दि. 14- 11-10	उप- निरीक्षक के पास लंबित	निरंक
					दिनांक 2010 को उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम आतरगांव के नंदलाल जायसवाल के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	15-11-	7 पाव 50 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	137/ दि. 15- 11-10	उप- निरीक्षक के पास लंबित	निरंक
					दिनांक 2010 को उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम चिल्हाटी के कुंदन लाढे विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	16-11-	6 पाव 80 एम. एल. देशी मदिरा प्लेन.	138/ दि. 16- 11-10	उप- निरीक्षक के पास लंबित	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					दिनांक 16-11-2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम दनगढ़ के कलिमुद्दीन के विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही कर 36 (ए) का अपराध दर्ज किया गया.	5 पाव 120 एम. एल. देशी मदिरा प्लन.	139/ दि. 16-11-10	उप-निरीक्षक के पास लंबित.	निरंक
					दिनांक 11-11-2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम मोंगरा एवं दिनांक 14-11-10 ग्राम भड़सेना एवं आटरा में जांच करने पर वहां के सरपंच एवं ग्रामवासी द्वारा गांव में मदिरा का अवैध विक्रय नहीं होने बाबत लिखित में प्रस्तुत किया गया.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
					आबकारी उप निरीक्षक द्वारा अं. चौकी के प्रत्येक वार्ड पार्षद से अवैध शराब बिक्री के संबंध में मिलने पर उनके द्वारा किसी भी वार्ड में मदिरा का अवैध विक्रय नहीं होने बाबत लिखित में प्रस्तुत किया है.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	सुश्री जंत्री बाई सरपंच ग्राम पंचायत मोंगरा.	10-11-10	मौहे की कच्ची शराब निकालकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की शिकायत.	मोंगरा	दिनांक 11-11-2010 को आबकारी उप निरीक्षक अं. चौकी वृत्त द्वारा ग्राम मोंगरा में पहुंचकर सरपंच महोदय एवं अन्य लोगों से शराब के अवैध विक्रय के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने ग्राम में किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय नहीं होना बताया गया.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	श्री धनेश कुमार ग्राम मेटेपार.	10-11-10	अवैध शराब भट्टी बंद करने बाबत.	लुढ़काबोढ़	दिनांक 13-11-2010 को आबकारी उप निरीक्षक चिचोला वृत्त द्वारा ग्राम	5 पाव 80 एम. एल.	153/ दि. 13-11-10	उप-निरीक्षक के पास लंबित	निरंक

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 153) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायपुर जिले में वर्ष 2010-11 (माह अक्टूबर, 2010 तक) में संचालित शराब दुकानों को बंद करने के लिए आम नागरिकों द्वारा शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत आवेदन एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण :-

क्र. (1)	शराब दुकान का नाम (2)	शिकायतकर्ता का नाम (3)	विषय (4)	कार्यवाही विवरण (5)
1.	दे. म. दु. निपनिया	सरपंच ग्रा. पं. निपनिया एवं अन्य.	ग्राम निपनिया की शराब भट्ठी का आवंटन रद्द करने बाबत्.	शराब दुकान की अवस्थिति से ग्राम- वासियों को कोई असुविधा एवं परेशानी नहीं है. दुकान आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित है. अतः राजस्वहित में दुकान का आवंटन रद्द किया जाना उचित नहीं पाया गया.
2.	दे. म. दु. तामासिवनी	अध्यक्ष, ग्राम विकास समिति तामासिवनी.	देशी शराब दुकान बंद कराने बाबत्.	ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त भूमि पर गांव से बाहर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा शराब दुकान बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. अतः राजस्वहित में दुकान को बंद किया जाना उचित नहीं पाया गया.
3.	दे. म. दु. लमकेनी	श्री प्रेमलाल कुर्रे एवं अन्य ग्राम लमकेनी.	देशी शराब भट्ठी बंद करने बाबत्.	शराब दुकान गांव के बाहर स्थापित है. दुकान के आसपास कोई आबादी नहीं है. अतः राजस्वहित में दुकान को बंद किया जाना उचित नहीं पाया गया.
4.	वि. म. दु. छछानपैरी	श्रीमती आरती देवी त्रिवेन्द्र, जि. पं. सदस्य क्षेत्र क्र. 08 एवं अन्य ग्रामवासी छछानपैरी	वि. म. दु. छछानपैरी बंद करने बाबत्.	शराब दुकान बंद करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है. तथापि शराब दुकान दिनांक 01-04-2010 से गांव से बाहर आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित है.

प्रपत्र "ब"

रायपुर जिले में वर्ष 2010-11 (माह अक्टूबर, 2010 तक) में संचालित शराब दुकानों को अन्यत्र हटाने के लिए आम नागरिकों द्वारा शासन/प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत आवेदन एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण :-

क्र. (1)	शराब दुकान का नाम (2)	शिकायतकर्ता का नाम (3)	विषय (4)	कार्यवाही विवरण (5)
1.	वि. म. दु. लाखेनगर	समस्त वार्डवासी एवं अन्य जनप्रतिनिधि भीमनगर, रायपुर.	वि. म. दु. लाखेनगर को अन्यत्र हटाने बाबत्.	वि. म. दु. लाखेनगर को अन्यत्र आपत्ति रहित स्थल पर दिनांक 15-05-10 को स्थापित कर दिया गया है.
2.	दे. म./वि. म. दु. टाटीबंध	श्री सुनील चंद्राकर, पार्षद वार्ड क्र. 13 न. पा. नि. रायपुर एवं अन्य महिला संगठन.	दे. म./वि. म. दु. टाटीबंध को अन्यत्र हटाने बाबत्.	शराब दुकानें आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित है. अतः दुकानें यथावत् संचालित है.
3.	वि. म. दु. मालवीयनगर	शास्त्री बाजार व्यापारी संघ	वि. म. दु. मालवीयनगर को अन्यत्र हटाने बाबत्.	मदिरा दुकान यथावत् रखे जाने हेतु लायसेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है. अतः दुकान यथावत् स्थापित है.
4.	वि. म. दु. मोवा	छोटू राम वर्मा, निवासी-वार्ड नं. 27 मोवा एवं अन्य	वि. म. दु. मोवा को अन्यत्र हटाने बाबत्.	वि. म. दु. मोवा को अन्यत्र आपत्ति रहित स्थल पर दिनांक 01-04-2010 को स्थापित कर दिया गया है.
5.	दे. म. दु. छरछेद	सरपंच ग्राम पं. छरछेद	दे. म. दु. छरछेद को अन्यत्र हटाने बाबत्.	दे. म. दु. छरछेद को अन्यत्र आपत्ति रहित स्थल पर दिनांक 27-05-2010 को स्थापित कर दिया गया है.
6.	वि. म. दु. हिरमी	अध्यक्ष नारी शक्ति संघ हिरमी.	वि. म. दु. हिरमी को अन्यत्र हटाने बाबत्.	वि. म. दु. हिरमी को गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर अगस्त 2010 से स्थानांतरित कर दिया गया है.
7.	वि. म. दु. डूण्डा	सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत डूण्डा.	वि. म. दु. डूण्डा को अन्यत्र हटाने बाबत्.	वि. म. दु. डूण्डा गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः दुकान अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
8.	वि. म. दु. अमलीपदर	सरपंच श्रीमती निरमती पुजारी ग्रा. पं. अमलीपदर	ग्राम अमलीपदर में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने विषयक.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. किन्तु आपत्ति रहित एवं उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं हो पाया है. स्थल उपलब्ध होने पर दुकान स्थानांतरित किया जावेगा.
9.	वि. म. दु. हथबंद	डॉ. आर. एन. वर्मा, हथबंद	ग्राम हथबंद के तिगड्डा के मधुरनाथ देवांगन काम्पलेक्स में अंग्रेजी शराब दुकान लगाने पर आपत्ति.	वि. म. दु. हथबंद आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. विदेशी मदिरा दुकान की स्थापना हेतु सामान्य प्रयुक्त नियमों की बाध्यता नहीं है. अतः दुकान यथावत् संचालित है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	वि. म. दु. तेलीबांधा	श्री शैलेन्द्र तिवारी, संयोजक नेताजी सुभाष मंच रायपुर.	नेताजी चौक तेलीबांधा से शराब दुकान अन्यत्र हटाने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने के कारण यथावत् संचालित है.
11.	दे. म. दु. टिकरापारा	श्रीमती सरस्वती शुक्ला एवं अन्य	धरमनगर देशी मदिरा दुकान नये स्थान पर नियम विरुद्ध खोलने बाबत्.	धरमनगर मोहल्ला विकास समिति एवं देशी मदिरा दुकान लायसेंसी के मध्य आपसी समझौते के आधार पर दिनांक 01-09-2010 से धरमनगर में शराब दुकान स्थापित है. आगामी वर्ष में दुकान को अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में रखा जावेगा.
12.	दे. म./वि. म. दु. आरंग.	अध्यक्ष न. पं. आरंग एवं अन्य	दे. म./वि. म. दु. को आरंग शहर के बाहर संचालित किये जाने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. किन्तु आपत्तिरहित एवं उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण यथावत् स्थापित है.
13.	दे. म./वि. म. दु. सिलतरा	सरपंच ग्रा. पं. सिलतरा एवं अन्य.	सिलतरा बस स्टैण्ड में स्थित देशी/विदेशी शराब दुकान हटाने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. किन्तु आपत्तिरहित एवं उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं हो पाया है. दुकान के क्षेत्र को आगामी वर्ष के लिए स्थानांतरित करने हेतु जिला आबकारी सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है. आगामी वर्ष में स्थानांतरित किया जावेगा.
14.	वि. म. दु. पुरानी बस्ती.	श्रीरामगोपाल देवांगन, छ. ग. देवांगन समाज एवं अन्य.	शराब दुकान एवं अवैध कब्जा हटाने हेतु.	शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है अन्यत्र आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध नहीं है. दिनांक 1-4-2011 से उक्त दुकान को अन्यत्र स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में रखा गया था. किन्तु बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त दुकान उसी स्थल पर संचालित करने हेतु सहमति दिया गया है.
15.	वि. म. दु. राजेन्द्रनगर	श्री गोविंद मिश्रा वार्ड क्र. 46 अमलीडीह, रायपुर	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्र. 46 में अंग्रेजी शराब दुकान हटाने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. किन्तु आपत्ति रहित एवं उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण यथावत् स्थापित है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	वि. म. दु. शंकरनगर	संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष न. पा. नि., रायपुर.	शंकर नगर मेनरोड पर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान हटाने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. किन्तु आपत्ति रहित एवं उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण यथावत् स्थापित है.
17.	दे. म. दु. दोन्देखुर्द	श्रीमती मीना क्षेतिजा एवं अन्य ग्रामवासी दोन्देखुर्द.	देशी शराब दुकान हटाने बाबत्	शराब दुकान परंपरागत श्रेणी के अंतर्गत है. दुकान आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित है. तथापि अन्यत्र हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है. स्थल उपलब्ध होने तक राजस्वहित में यथावत् संचालित है.
18.	वि. म. दु. टिकरापारा	श्री हर्ष गजभिये, रायपुर जिला अध्यक्ष अश्वनी नगर रायपुर.	पुलिस लाईन स्थित अंग्रेजी शराब दुकान हटाने की मांग.	दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है. वि. म. दु. टिकरापारा परंपरागत श्रेणी का है. विदेशी मदिरा दुकान की स्थापना हेतु सामान्य प्रयुक्त नियमों की बाध्यता नहीं है. अतः राजस्वहित में अन्यत्र हटाया जाना उचित नहीं पाया गया.
19.	वि. म. दु. कटोरातालाब	श्री रमेश साहू एवं अन्य, छत्तीसगढ़िया सेना संगठन रायपुर.	कटोरातालाब अंग्रेजी शराब भट्टी अन्यत्र हटाने की मांग	दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल उपलब्ध नहीं है. विदेशी मदिरा दुकान परंपरागत श्रेणी का है. विदेशी मदिरा दुकान की स्थापना हेतु सामान्य प्रयुक्त नियमों की बाध्यता नहीं है. अतः राजस्वहित में अन्यत्र हटाया जाना उचित नहीं पाया गया.
20.	वि. म. दु. गरियाबंद	सदस्य-शिवसेना शाखा एवं युवक कांग्रेस गरियाबंद.	अंग्रेजी शराब दुकान हटाये जाने बाबत्.	वि. म. दु. गरियाबंद के आसपास शराब पीने की कोई सुविधा नहीं है. सड़क मार्ग से आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं है. अतः राजस्वहित में दुकान अन्यत्र हटाना उचित नहीं है.
21.	वि. म. दु. भनपुरी	श्री घासीराम साहू, पार्षद, यतियतन वार्ड क्र. 4 भनपुरी रायपुर.	अंग्रेजी शराब दुकान भनपुरी को अन्यत्र हटाये जाने बाबत्.	वि. म. दु. भनपुरी के आसपास शराब पीने की कोई सुविधा नहीं है. सड़क मार्ग से आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं है. अतः राजस्वहित में दुकान अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
22.	दे. म. दु. खिलौरा	सरपंच-ग्राम पंचायत जांगड़ा.	शराब भट्टी हटाने बाबत्.	दे. म. दु. खिलौरा आबादी से दूर गांव की बाहरी सीमा पर कई वर्षों से स्थापित है. दुकान की अवस्थिति से ग्रामवासियों को कोई असुविधा व परेशानी नहीं है. अतः राजस्वहित में शराब दुकान अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	दे. म. दु. समोदा	श्री देवनारायण	देशी शराब दुकान हटाने बाबत्	दे. म. दु. समोदा सामान्य प्रयुक्त नियमों के अंतर्गत आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित है. अतः राजस्वहित में शराब दुकान अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
24.	देशी/विदेशी शराब दुकान-मंदिरहसौद	श्री सेवाराम यादव निवासी-मंदिरहसौद	शराब भट्टी गांव से 1 कि. मी. दूर करने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल उपलब्ध न होने के कारण यथावत् संचालित है.
25.	वि. म. दु. कुहेरा	श्री हीराचंद चेलक एवं अन्य ग्राम कोटराभाठा.	अंग्रेजी शराब दुकान हटाने बाबत्.	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल की तलाश की जा रही है. उपलब्ध होने पर दुकान स्थानांतरित किया जावेगा.
26.	दे. म. दु. बाना	सरपंच ग्राम पंचायत बाना	शराब भट्टी हटाने बाबत्	शराब दुकान गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर स्थित है. अतः देशी शराब दुकान बाना को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
27.	वि. म. दु. करमंदी	महिला स्व. सहायता समूह कुरूद, (कुटेला).	अंग्रेजी शराब भट्टी अन्यत्र हटाने बाबत्.	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. ग्रामवासियों की सहमति से ही वि. म. दु. करमंदी को स्थापित किया गया है. अतः अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
28.	दे. म. दु. राजादेवरी	समस्त ग्रामवासी ग्राम-राजादेवरी.	ग्राम से शराब की दुकान हटाने बाबत्.	शराब दुकान गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं है.
29.	दे. म. दु. बलौदा	सरपंच-ग्राम पंचायत बलौदा.	शराब भट्टी को स्कूल के समीप से दूर हटाने बाबत्.	शराब दुकान गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
30.	दे. म. दु. डेराडीह	सरपंच-ग्राम पंचायत डेराडीह.	ग्राम डेराडीह की लायसेंसी शराब भट्टी हटाने बाबत्.	शराब दुकान गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
31.	दे. म. दु. असनीद	सरपंच-ग्राम पंचायत असनीद.	बरघट बेरियर से देशी शराब दुकान का विस्थापन हेतु.	शराब दुकान गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	दे. म. दु. बरेली	जनपद सदस्य जनपद पंचायत कसडोल	लायसेंसी शराब भट्टी बरेली को गांव से 1 कि. मी. दूर हटाने बाबत.	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
33.	दे. म. दु. मुढीपार	सरपंच-ग्राम पंचायत अर्जुनी (ब)	शराब भट्टी हटाने के संबंध में	शराब दुकान गांव की आबादी से दूर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
34.	दे. म. दु. अमोदी	सरोज पाठक ग्राम-अमोदी	शराब भट्टी हटाने के संबंध में	मदिरा दुकान हटाने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. वैकल्पिक स्थल उपलब्ध होने पर दुकान स्थानांतरित किया जावेगा.
35.	दे. म. दु. खान	श्री भोजराम लहरी ग्राम-खान.	शराब भट्टी हटाने के संबंध में	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
36.	देशी/विदेशी शराब दुकान-अर्जुनी	श्रीमती माधुरी ध्रुव, उपसरपंच ग्राम पंचायत अर्जुनी.	शराब दुकान हटाने बाबत	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकानों को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
37.	दे. म. दु. मधाईभाठा	श्री सीताराम साहू एवं अन्य	देशी शराब दुकान बंद कर हटाने बाबत.	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. जिला आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा शराब दुकान बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है. अतः राजस्वहित में दुकान को बंद किया जाना उचित नहीं पाया गया.
38.	देशी/विदेशी शराब दुकान-मैनपुर	सरपंच- ग्राम पंचायत मैनपुर	देशी एवं अग्रजी शराब दुकान हटाने बाबत.	शराब दुकान अन्यत्र स्थापित करने हेतु लायसेंसी को निर्देशित किया गया है. लायसेंसी द्वारा शराब दुकानों को यथावत् रखने का निवेदन किया गया है. यथावत् रखे जाने हेतु शिकायत कर्ता भी सहमत है. अतः राजस्वहित में दुकानों को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया.
39.	दे. म. दु. खड़मा	श्री नारद राम एवं अन्य	शराब दुकान हटाने बाबत	ग्राम पंचायत खड़मा द्वारा निर्मित भवन में शराब दुकान संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	दे. म. दु. जामगांव	सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत जामगांव.	देशी शराब दुकान अन्यत्र हटाने बाबत.	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. दुकान के आसपास कोई आबादी नहीं है. अतः ग्रामवासियों को दुकान की अवस्थिति से कोई परेशानी व असुविधा नहीं है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
41.	दे. म. दु. बासीन	सरपंच एवं अन्य ग्राम पंचायत बासीन.	देशी शराब दुकान अन्यत्र हटाने बाबत.	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. दुकान के आसपास कोई आबादी नहीं है. अतः ग्रामवासियों को दुकान की अवस्थिति से कोई परेशानी व असुविधा नहीं है अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
42.	दे. म. दु. मांढर	ग्राम पंचायत टेकारी	देशी शराब दुकान हटाने	दे. म. दु. मांढर आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. अतः राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.
43.	दे. म. दु. सिलयारी	पुष्पा बंजारे ग्राम कुरूद सिलयारी.	शराब दुकान अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत.	शराब दुकान आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है. राजस्वहित में दुकान को अन्यत्र हटाना उचित नहीं पाया गया.

परिशिष्ट “छः”

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 208) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक (1)	पटवारी हल्का नंबर (2)	पटवारी हल्का का नाम (3)	तहसील का नाम (4)
1.	01	कालीपुर	जगदलपुर
2.	02	घाटपदमुर	जगदलपुर
3.	03	कंगोली	जगदलपुर
4.	04	आसना	जगदलपुर
5.	05	जगदलपुर देहात	जगदलपुर
6.	06	धुरगड़ा	जगदलपुर
7.	07	कलचा	जगदलपुर
8.	08	कुरन्दी	जगदलपुर
9.	09	आड़ाववाल	जगदलपुर
10.	10	हल्बा कचोरा	जगदलपुर
11.	11	फ्रेजरपुर	जगदलपुर
12.	12	पण्डरीपानी	जगदलपुर
13.	13	परपा	जगदलपुर
14.	14	नियानार	जगदलपुर
15.	15	जामावाड़ा	जगदलपुर
16.	16	साइगुड़	जगदलपुर
17.	17	पुसपाल	जगदलपुर
18.	18	हाटपदमुर	जगदलपुर
19.	19	नानगुर	जगदलपुर
20.	20	बड़ेमुरमा	जगदलपुर
21.	21	बड़ेकवाली	जगदलपुर
22.	22	नेतानार	जगदलपुर
23.	23	कावापाल	जगदलपुर
24.	24	मारकेल	जगदलपुर
25.	25	माड़पाल	जगदलपुर
26.	26	आमागुड़ा	जगदलपुर
27.	27	नगरनार	जगदलपुर
28.	28	धनपूजी	जगदलपुर
29.	29	चोकाबाडा	जगदलपुर
30.	30	नेगानार	दरभा
31.	31	लेंड्रा	दरभा
32.	32	छिन्दबहार	दरभा
33.	33	चिंगपाल	दरभा
34.	34	कामानार	दरभा
35.	35	दरभा	दरभा
36.	36	टाहकवाड़ा	दरभा
37.	37	कोलेंग	दरभा

परिशिष्ट “सात ”
[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 139) के भाग (क) की जानकारी]

जुलाई 2010 से 15-11-10 तक की अवधि में प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या एवं बलात्कार की घटनाएं की जिलेवार जानकारी

क्रमांक (1)	जिला (2)	लूट (3)	डकैती (4)	हत्या (5)	बलात्कार (6)
1.	रायपुर	33	0	29	30
2.	महासमुंद	10	1	15	6
3.	धमतरी	2	5	4	12
4.	गरियाबंद	0	0	6	4
5.	दुर्ग	44	1	33	42
6.	राजनांदगांव	7	1	22	18
7.	कबीरधाम	2	0	7	5
8.	बिलासपुर	29	0	41	20
9.	रायगढ़	16	6	29	18
10.	जांजगीर-चांपा	9	1	17	15
11.	कोरवा	10	2	8	6
12.	सरगुजा	20	2	20	41
13.	जशपुर	5	0	23	27
14.	कोरिया	3	3	15	27
15.	बलरामपुर	5	1	15	29
16.	सूरजपुर	5	0	20	26
17.	जगदलपुर	3	2	26	20
18.	दंतेवाड़ा	3	4	12	3
19.	कांकेर	3	3	11	7
20.	बीजापुर	0	10	33	1
21.	नारायणपुर	0	3	7	1
22.	रेल रायपुर	5	0	1	0
	योग	214	45	394	358

परिशिष्ट “आठ”

[तारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 39) की जानकारी]

रायगढ़ जिले के रायगढ़ शहर, ग्रामीण रायगढ़, पुसौर एवं बरमेकेला विकासखण्ड में 01 अप्रैल 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की पात्र नये हितग्राही का प्रस्ताव जनपद पंचायतों में जमा, स्वीकृति तथा भुगतान प्रारंभ की जानकारी

रायगढ़ शहर

क्र.	योजना का नाम				योग		स्वीकृत माह						
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकासांग पेंशन योजना	सुखद सहारा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	योग							
(1)	प्राप्त आवेदन (2)	पात्र आवेदन (3)	प्राप्त आवेदन (4)	पात्र आवेदन (5)	प्राप्त आवेदन (6)	पात्र आवेदन (7)	प्राप्त आवेदन (8)	पात्र आवेदन (9)	प्राप्त आवेदन (10)	पात्र आवेदन (11)	प्राप्त आवेदन (12)	पात्र आवेदन (13)	स्वीकृत माह (14)
1.	158	68	0	0	89	76	0	0	233	61	480	205	अक्टूबर 2009

भुगतान— उपरोक्त सभी पात्र आवेदकों को स्वीकृत माह से पेंशन भुगतान किया जा रहा है.

विकासखण्ड-रायगढ़

क्र.	योजना का नाम				योग		स्वीकृत माह						
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकासांग पेंशन योजना	सुखद सहारा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	योग							
(1)	प्राप्त आवेदन (2)	पात्र आवेदन (3)	प्राप्त आवेदन (4)	पात्र आवेदन (5)	प्राप्त आवेदन (6)	पात्र आवेदन (7)	प्राप्त आवेदन (8)	पात्र आवेदन (9)	प्राप्त आवेदन (10)	पात्र आवेदन (11)	प्राप्त आवेदन (12)	पात्र आवेदन (13)	स्वीकृत माह (14)
1.	150	132	93	90	29	28	59	52	328	233	659	540	जून 2010

भुगतान— उपरोक्त सभी पात्र आवेदकों को माह जून 2010 से अक्टूबर 2010 तक का पेंशन राशि दिनांक 27-11-2010 को नाद भुगतान किया जा चुका है.

विकासखण्ड-पुसौर

क्र.	योजना का नाम						योग	स्वीकृत माह					
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	सुखद सहारा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	योग							
(1)	प्राप्त आवेदन (2)	पात्र आवेदन (3)	प्राप्त आवेदन (4)	पात्र आवेदन (5)	प्राप्त आवेदन (6)	पात्र आवेदन (7)	प्राप्त आवेदन (8)	प्राप्त आवेदन (9)	प्राप्त आवेदन (10)	पात्र आवेदन (11)	प्राप्त आवेदन (12)	पात्र आवेदन (13)	(14)
1.	423	285	160	56	113	43	77	20	375	225	1148	629	जून 2009
2.	370	172	135	46	149	61	167	65	389	210	1210	554	अप्रैल 2010
3.	290	165	90	20	45	20	90	60	50	10	565	275	अक्टूबर 2010
योग	1083	622	385	122	307	124	334	145	814	445	2923	1458	

भुगतान— उपरोक्त सभी पात्र आवेदकों को स्वीकृत माह से पेंशन भुगतान किया जा रहा है.

विकासखण्ड-बरमकेला

क्र.	योजना का नाम						योग	स्वीकृत माह					
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	सुखद सहारा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	योग							
(1)	प्राप्त आवेदन (2)	पात्र आवेदन (3)	प्राप्त आवेदन (4)	पात्र आवेदन (5)	प्राप्त आवेदन (6)	पात्र आवेदन (7)	प्राप्त आवेदन (8)	प्राप्त आवेदन (9)	प्राप्त आवेदन (10)	पात्र आवेदन (11)	प्राप्त आवेदन (12)	पात्र आवेदन (13)	(14)
1.	617	383	0	0	22	22	1	1	237	237	877	643	जून 2009
2.	18	18	0	0	3	3	1	1	47	47	69	69	अगस्त 2009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	8	8	0	0	0	0	3	3	0	0	11	11	सितम्बर 2009
4.	14	14	0	0	0	0	3	3	0	0	17	17	अक्टूबर 2009
5.	0	0	0	0	15	15	0	0	115	115	130	130	नवंबर 2009
6.	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	मई 2010
7.	832	687	5	2	0	0	9	6	0	0	846	695	जून 2010
8.	0	0	0	0	6	3	0	0	22	5	28	8	जुलाई 2010
9.	175	144	0	0	0	0	0	0	0	0	175	144	अगस्त 2010
10.	146	144	0	0	0	0	0	0	0	0	146	144	सितंबर 2010
योग	1810	1398	5	2	46	43	19	16	421	404	2301	1863	

भुगतान— उपरोक्त सभी पात्र आवेदकों को स्वीकृत माह से पेंशन भुगतान किया जा रहा है.

परिशिष्ट “नौ ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 83) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006	वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009	वर्ष 2010 (15-11-2010 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सरगुजा	0	0	0	0	0	05	0
2.	धमतरी	0	0	0	0	0	0	0
3.	दंतेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0
4.	कवर्धा	0	0	0	0	0	0	0
5.	कांकेर	01	0	0	0	0	01	0
6.	रायपुर	03	0	02	0	0	0	0
7.	दुर्ग	0	0	01	0	01	0	0
8.	कोरबा	0	0	0	0	0	0	01
9.	बिलासपुर	0	0	0	0	0	0	07
10.	बस्तर	0	0	0	0	0	02	0
11.	जशपुर	0	0	0	0	0	01	0
12.	महासमुंद	0	0	01	0	04	02	0
13.	रायगढ़	0	0	0	0	0	0	04
14.	कोरिया	02	0	0	0	0	0	05
15.	जांजगीर	0	0	0	0	0	0	03
16.	राजनांदगांव	0	0	0	0	0	0	04
17.	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0
18.	बीजापुर	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	06	0	04	0	05	11	24

प्रपत्र "ब"

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006		वर्ष 2007		वर्ष 2008		वर्ष 2009		वर्ष 2010 (15-11-2010 तक)	
		स्लाईड्स (3)	पॉजि. (4)	स्लाईड्स (5)	पॉजि. (6)	स्लाईड्स (7)	पॉजि. (8)	स्लाईड्स (9)	पॉजि. (10)	स्लाईड्स (11)	पॉजि. (12)	स्लाईड्स (13)	पॉजि. (14)	स्लाईड्स (15)	पॉजि. (16)
1.	सरगुजा	428574	19014	449985	25088	435306	20727	381051	17238	295887	13377	316325	14811	341136	11673
2.	धमतरी	127087	1022	120428	895	112967	788	141089	584	127726	853	124814	626	94109	490
3.	दंतेवाड़ा	225554	38458	207455	30767	256782	41218	222417	44235	224757	40406	181269	30456	198479	40430
4.	कवर्धा	56684	1143	73282	2174	83009	1895	88558	1842	81540	1601	83542	1293	50851	1382
5.	कांकेर	284255	27660	327074	25227	272591	21777	271044	15532	221900	12760	222554	10969	189812	6897
6.	रायपुर	384045	3231	422750	3049	436512	2237	404896	1558	415113	1755	394907	1342	297617	765
7.	दुर्ग	395026	2658	423543	2057	410604	1747	414317	1587	371241	1763	386381	1593	319385	1312
8.	कोरवा	196904	10245	183151	8292	177203	8777	165581	11099	149468	9783	154299	9278	144064	10991
9.	बिलासपुर	240849	6164	299122	4060	265848	5462	224963	2882	209119	2449	202688	3275	154754	2869
10.	बस्तर	309040	44145	375981	45472	326269	43833	314842	37087	296621	32234	232799	19488	186255	11868
11.	जशपुर	121714	12130	115256	14702	141804	16485	115456	12001	100620	10009	132465	13693	121888	12455
12.	महासमुन्द्र	154104	867	154129	892	171350	1406	180963	643	182555	583	175042	437	151586	414
13.	रायगढ़	197178	13367	187141	13408	166130	11282	164380	8601	145982	6654	183451	7516	173310	5417
14.	कोरिया	104021	8995	112746	9109	102870	8438	94725	7051	85753	9140	87936	9041	83399	7789
15.	जांजागीर	171977	847	197118	594	209623	1285	190290	590	192017	989	192017	938	160955	396
16.	राजनांदगांव	242823	3610	231543	3730	212330	3424	201222	2996	191564	3093	204801	1915	166525	1745
17.	नारायणपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25020	1797
18.	बीजापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68251	4249
कुल		3639835	193556	3880704	189516	3781198	190781	3575794	165526	3291863	147396	3275290	126671	2927396	122939

परिशिष्ट “दस ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 19) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शेष स्मार्ट कार्ड की जानकारी

क्रमांक	ग्राम का नाम	स्मार्ट कार्ड हेतु कुल चिन्हित बी. पी. एल. परिवार जिनका स्मार्ट कार्ड शेष है.	क्रमांक	ग्राम का नाम	स्मार्ट कार्ड हेतु कुल चिन्हित बी. पी. एल. परिवार जिनका स्मार्ट कार्ड शेष है.
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	अचानकपुर	5	39.	डोंगरी	95
2.	अकलतरी	51	40.	फरहदा	61
3.	अमरताल	106	41.	गढ़ौला	29
4.	अमेरी	34	42.	गतवा	2
5.	अमलीपाली	21	43.	घनवा	39
6.	अमोरा	79	44.	घाटादेई	2
7.	अंगारखार	36	45.	गोंदाडीह	10
8.	आरसमेटा	36	46.	गोवाबंध	0
9.	अर्जुनी	85	47.	हरदी	29
10.	बछौद	41	48.	हरदीबिसाल	59
11.	बागडबरी	94	49.	हेडसपुर	80
12.	बैजलपुर	2	50.	जर्वे	92
13.	बोकरामुड़ा	15	51.	जाबलपुर	144
14.	बक्सरा	67	52.	झपेली	15
15.	बम्हनीन	27	53.	झर्गाडीह	2
16.	बाना	120	54.	झीलमिला	116
17.	बनाहिल	108	55.	झिरिया	12
18.	बरबसपुर	2	56.	जुनाडीह	23
19.	बरगवां	68	57.	कल्याणपुर	42
20.	बरपाली	71	58.	कंडरा	34
21.	बलडीहाडीह	16	59.	कापन	101
22.	बेलटुकरी	71	60.	करहीडीह	103
23.	भैंसतरा	10	61.	करमा	16
24.	भिलाई	55	62.	करमंदा	28
25.	बिरगहनी	116	63.	करूमहू	100
26.	बिरकोनी	97	64.	कटघरी	32
27.	बोक्रेल	48	65.	कटनई	6
28.	बुचीहरदी	108	66.	कटरा	63
29.	बुढ़गाहा	105	67.	केराकछार	38
30.	चंदनिया	40	68.	खैजा	231
31.	चंगोरी	119	69.	खपरीडीह	15
32.	चारपारा	80	70.	खारी	26
33.	छितापाली	18	71.	खरमोरा	19
34.	दखोनी	30	72.	खटोला	31
35.	देवरी (बलौदा)	107	73.	खिसौरा (बलौदा)	156
36.	देवरी (अकलतरा)	21	74.	खिसौरा (अकलतरा)	71
37.	ढोरला	13	75.	खोहा	7
38.	डोंगीपेण्डरी	3	76.	खोन्ड	14

क्रमांक	ग्राम का नाम	स्मार्ट कार्ड हेतु कुल चिन्हित बी. पी. एल. परिवार जिनका स्मार्ट कार्ड शेष है.	क्रमांक	ग्राम का नाम	स्मार्ट कार्ड हेतु कुल चिन्हित बी. पी. एल. परिवार जिनका स्मार्ट कार्ड शेष है.
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
77.	किरारी	113	112.	परसदा (बलौदा)	2
78.	कोलिहादेवरी	22	113.	परसदा (अकलतरा)	5
79.	कोरबी	78	114.	परसदा रे	92
80.	कोसमंदा	163	115.	परसाई बाना	53
81.	कोटगढ़	18	116.	परसाईनाला	52
82.	कोटमीसोनार	298	117.	पौना	76
83.	कुरुमा	61	118.	पिपरदा	14
84.	लटिया	11	119.	पिपरसट्टी	26
85.	लेवई	33	120.	पौन्च	33
86.	लिलवाडीह	2	121.	पोड़ीदल्हा	111
87.	मदनपुर	3	122.	पुरेना	23
88.	मधाईपुर	36	123.	रेनपुर	50
89.	मधूवा	2	124.	रसैटा	109
90.	महुदा	37	125.	रसेड़ा	60
91.	मौहाडीह	1	126.	रोगदा	8
92.	मुडपार	2	127.	साजापाली	3
93.	मूरलीडीह	45	128.	सांकर	30
94.	मूरलीडीह कंजी	58	129.	सरईगुहन	2
95.	नरियारा	231	130.	सराईपाली	41
96.	नवागांव	26	131.	सत्तीगुड़ी	45
97.	नवापारा	5	132.	शनिचारा	18
98.	नवापारा (ब)	6	133.	सोनादुला	39
99.	नवापारा (ख)	44	134.	सोनाडीह	26
100.	नवगवन	40	135.	सोनबरसा	24
101.	औराईकला	8	136.	सोनसरी	93
102.	औराईखुर्द	11	137.	सुल्ताननार	42
103.	पचरी	49	138.	सुअरमाल	9
104.	पचरीदलहा	6	139.	तागा	63
105.	पडरिया	42	140.	तरौद	45
106.	पहरिया	77	141.	तिलई	92
107.	पकरिया जूलन	81	142.	टिंगीपुर	3
108.	पाकरिया ला	65	143.	उसलापुर	32
109.	पनोरा पारा	2			
110.	पन्तोरा	79		कुल योग	7151
111.	परसाभाटा	7			

परिशिष्ट “ग्यारह ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 168) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में शासकीय जिला चिकित्सालय के सामने बसन्तपुर रोड (डोंगरगांव रोड) पर स्थित शराब दुकान को हटाने के संबंध में शासन को वर्ष 2009 एवं 2010 में दिनांक 15-11-2010 तक की स्थिति में व्यक्तियों/सामाजिक संस्थाओं/समितियों द्वारा प्राप्त आवेदन या ज्ञापन और उस पर की गई कार्यवाही का विवरण :-

(1) वर्ष 2009 की जानकारी

क्र.	दुकान हटाने संबंधी प्राप्त शिकायत (व्यक्तियों/सामाजिक संस्थाओं/समिति द्वारा) शिकायतकर्ता का नाम/पता	प्राप्त शिकायत पत्र दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती ललिता गुप्ता, अध्यक्ष यशोधरा महिला मण्डल, राजीव वार्ड नं. 38, राजनांदगांव.	26-5-2009	आबकारी उप निरीक्षक राजनांदगांव “ब” वृत्त के प्रतिवेदन दिनांक 30-05-2009 के अनुसार विदेशी मदिरा दुकान बसन्तपुर रोड (डोंगरगांव रोड) राजनांदगांव नियमानुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होना दर्शाया गया है. उक्त प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1291 दिनांक 01-06-2009 के तहत सूचित किया जा चुका है.

(2) वर्ष 2010 (दिनांक 15-11-2010 तक) की जानकारी

1.	श्री अजीत जैन पूर्व महापौर	04-03-2010	आबकारी उप निरीक्षक राजनांदगांव “ब” वृत्त के प्रतिवेदन दिनांक 13-03-2010 के अनुसार विदेशी मदिरा दुकान बसन्तपुर रोड (डोंगरगांव रोड) राजनांदगांव नियमानुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होना दर्शाया गया है. उक्त प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 787 दिनांक 13-04-2010 के तहत सूचित किया जा चुका है.
2.	श्री निखिल द्विवेदी निर्वाचित जिलाध्यक्ष एन. एस. यू. आई. राजनांदगांव.	17-08-2010	आबकारी उप निरीक्षक राजनांदगांव “ब” वृत्त के प्रतिवेदन दिनांक 23-08-2010 के अनुसार विदेशी मदिरा दुकान बसन्तपुर रोड (डोंगरगांव रोड), राजनांदगांव नियमानुसार निर्धारित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होना दर्शाया गया है. उक्त प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 31-08-2010 के तहत सूचित किया जा चुका है.

परिशिष्ट “बारह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 209) के भाग (ख) की जानकारी]

पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त गांजा एवं राशि की थानावार, तिथिवार जानकारी

क्र. (1)	थाना (2)	अपराध क्रमांक (3)	घटना दिनांक (4)	घटना स्थान (5)	कुल जप्ती गांजा (6)	कुल कीमत (7)
1.	फरसगांव	48/08	5-4-2008	फरसगांव	1 किंव. 02 किलो 100 ग्राम	300000/-
2.	फरसगांव	53/08	7-4-2008	सिरपुर	1 किंव. 08 किलो 500 ग्राम	200000/-
3.	फरसगांव	54/08	9-4-2008	कोपरामुंडा	1 किंव. 06 किलो 100 ग्राम	300000/-
4.	केशकाल	68/08	10-4-2008	केशकाल	63 किलो	179000/-
5.	नगरनार	63/08	23-4-2008	तारापुर	5 किलो	15000/-
6.	नगरनार	64/08	23-4-2008	उलनार	5 किलो	15000/-
7.	बोधघाट	120/08	03-4-2008	नया बस स्टैंड जगदलपुर.	3 किलो 500 ग्राम	35000/-
8.	जगदलपुर	215/08	16-4-2008	पुराना पुल जगदलपुर.	3 किलो 450 ग्राम	10350/-
9.	फरसगांव	62/08	5-5-2008	पाटला जंगल	1 किंवंटल	200000/-
10.	केशकाल	99/08	24-5-2008	उपरचंदेली	1 किंवंटल 80 किलो	200000/-
11.	नगरनार	93/08	31-5-2008	नलपावंड	2 किलो 40 ग्राम	4000/-
12.	नगरनार	94/08	31-5-2008	नलपावंड	4 किलो 940 ग्राम	10000/-
13.	नगरनार	100/08	03-6-2008	नगरनार	5 किलो	15000/-
14.	बोधघाट	213/08	16-06-2008	आड़ावाल	1 किंवंटल	150000/-
15.	बोधघाट	255/08	14-07-2008	आड़ावाल नाका	16 किलो 430 ग्राम	20000/-
16.	केशकाल	127/08	26-07-2008	बोरगांव	7 किलो	21000/-
17.	केशकाल	128/08	26-07-2008	बोरगांव	6 किलो	18000/-
18.	नगरनार	126/08	18-07-2008	धनपूंजी	1 किंवंटल 10 किलो 50 ग्राम	221000/-
19.	जगदलपुर	439/08	25-08-2008	टाईल्स फैक्ट्री जगदलपुर.	4 किलो 900 ग्राम	7350/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	जगदलपुर	440/08	25-8-2008	टाईल्स फैक्ट्री जगदलपुर.	4 किलो 400 ग्राम	6600/-
21.	नगरनार	141/08	19-4-2008	पीटापुर	2 किलो 940 ग्राम	4500/-
22.	बोधघाट	343/08	28-09-2008	आड़ावाल नाका	2 किलो 900 ग्राम	2900/-
23.	नगरनार	159/08	13-09-2008	मुली	17 किलो	34000/-
24.	नगरनार	169/08	03-10-2008	धनपूजी	10 किलो	20000/-
25.	नगरनार	178/08	16-10-2008	भेजरीपदर	8 किलो 500 ग्राम	17000/-
26.	नगरनार	181/08	21-10-2008	तारापुर	8 किलो	24000/-
27.	भानपुरी	119/08	27-10-2008	मुंझला	9 किलो	18000/-
28.	भानपुरी	120/08	27-10-2008	मुंझला	9 किलो 500 ग्राम	19000/-
29.	दरभा	16/09	29-01-2009	दरभा	1 क्विंटल 95 किलो 500 ग्राम	200000/-
30.	भानपुरी	08/09	18-01-2009	सोनारपाल	10 किलो	20000/-
31.	भानपुरी	09/09	18-01-2009	सोनारपाल	10 किलो	20000/-
32.	भानपुरी	10/09	18-01-2009	सोनारपाल	5 किलो	10000/-
33.	कोंडागांव	63/09	24-02-2009	पलारी	1 क्विंटल 40 किलो	140000/-
34.	केशकाल	25/09	17-02-2009	केशकाल	2 क्विंटल	600000/-
35.	फरसगांव	32/09	27-02-2009	बोरगांव	8 किलो 100 ग्राम	8000/-
36.	नगरनार	30/09	12-02-2009	धनपूजी	6 किलो	12000/-
37.	नगरनार	31/09	12-02-2009	चोकावाड़ा	5 किलो 350 ग्राम	16000/-
38.	नगरनार	32/09	12-02-2009	कस्तूरी	5 किलो 400 ग्राम	10800/-
39.	फरसगांव	47/09	25-03-2009	बैलजंगल	2 क्विं. 12 किलो 350 ग्राम	600000/-
40.	कोंडागांव	89/09	16-03-2009	नारायणपुर तिराहा	2 क्विं. 2 किलो	202000/-
41.	बोधघाट	108/09	02-03-2009	गीदमनाका जगदलपुर.	22 क्विं. 94 किलो	920000/-
42.	नगरनार	94/09	09-05-2009	भेजरीपदर	5 किलो	15000/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.	नगरनार	102/09	31-05-2009	धनपूजी	10 किलो	30000/-
44.	बोधघाट	234/09	30-05-2009	आड़ावाल नाका	14 किलो 800 ग्राम	30000/-
45.	कोंड़ागांव	144/09	03-06-2009	मसोरा	4 क्विं. 49 किलो 700 ग्राम	140000/-
46.	कोंड़ागांव	146/09	11-06-2009	चारागांव बम्हनी	1 क्विं. 65 किलो 50 ग्राम	360000/-
47.	कोंड़ागांव	147/09	11-06-2009	चारागांव बम्हनी	1 क्विं. 24 किलो 40 ग्राम	124000/-
48.	दरभा	51/09	02-06-2009	कामानार	2 क्विं. 88 किलो 600 ग्राम	600000/-
49.	भानपुरी	86/09	02-07-2009	खड़का	2 क्विं. 25 किलो	450000/-
50.	भानपुरी	90/09	23-07-2009	भानपुरी	29 किलो	60000/-
51.	बोधघाट	292/09	21-07-2009	आड़ावाल नाका	13 किलो	26000/-
52.	नगरनार	139/09	21-08-2009	नगरनार	4 किलो	8000/-
53.	जगदलपुर	433/09	17-08-2009	ठाकुर रोड जगदलपुर.	1 क्विं. 15 किलो	400000/-
54.	केशकाल	111/09	19-08-2009	केशकाल	31 क्विं. 23 किलो	3400000/-
55.	जगदलपुर	503/09	28-09-2009	डोंगाघाट	12 किलो	12000/-
56.	बोधघाट	363/09	19-09-2009	आड़ावाल	15 किलो	30000/-
57.	केशकाल	119/09	14-09-2009	केशकाल	26 किलो	75000/-
58.	केशकाल	120/09	14-09-2009	केशकाल	33 क्विं. 32 किलो 35 ग्राम	9900000/-
59.	कोंड़ागांव	223/09	01-09-2009	चिखलपुटी	1 क्विं. 26 किलो 800 ग्राम	126000/-
60.	कोंड़ागांव	224/09	01-09-2009	बनियागांव	76 किलो 200 ग्राम	76000/-
61.	कोंड़ागांव	238/09	09-09-2009	कोंड़ागांव	22 किलो 500 ग्राम	22500/-
62.	दरभा	73/09	10-10-2009	दरभा	1 क्विं. 75 किलो	700000/-
63.	नगरनार	168/09	07-10-2009	उडियापाल	7 किलो	40000/-
64.	नगरनार	182/09	27-10-2009	भेजरीपदर	84 किलो 250 ग्राम	168500/-
65.	कोंड़ागांव	296/09	30-10-2009	कोंड़ागांव	4 किलो 600 ग्राम	6400/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66.	बोधघाट	394/09	11-10-2009	माडिया चौक जगदलपुर.	2 किलो	5000/-
67.	बोधघाट	398/09	14-10-2009	लाईभट्टी के पास जगदलपुर.	3 किलो 150 ग्राम	9450/-
68.	कोंडागांव	300/09	01-11-2009	कोंडागांव	10 किलो 500 ग्राम	10500/-
69.	नगरनार	198/09	22-11-2009	कौडावंड	5 किलो	10000/-
70.	केशकाल	172/09	28-12-2009	विश्रामपुरी केशकाल.	1 किलो 500 ग्राम	3000/-
71.	नगरनार	209/09	17-12-2009	धनपूंजी	4 किलो	8000/-
72.	नगरनार	210/09	18-12-2009	चौकावाड़ा	4 किलो	8000/-
73.	नगरनार	216/09	23-12-2009	भेजापदर	5 किलो	10000/-
74.	नगरनार	10/10	19-01-2010	धनपूंजी	15 किलो 300 ग्राम	30600/-
75.	नगरनार	12/10	22-01-2010	नगरनार	11 किलो 50 ग्राम	22000/-
76.	बोधघाट	34/10	20-01-2010	आडावाल नाका	9 किलो 800 ग्राम	29400/-
77.	बोधघाट	86/10	17-02-2010	बस स्टैंड जगदलपुर.	18 किलो	54600/-
78.	बोधघाट	102/10	26-02-2010	आडावाल नाका	5 किलो	10000/-
79.	जगदलपुर	79/10	12-02-2010	धरमपुरा नं. 1 धुरवापारा.	1 क्विं. 50 किलो	450000/-
80.	नगरनार	37/10	17-02-2010	मुली चौकी बस्तर	5 किलो	10000/-
81.	फ्रेजरपुर	72/10	16-02-2010	पंडरीपानी	2 क्विं. 8 किलो	600000/-
82.	बोधघाट	125/10	15-03-2010	एनएमडीसी चौक जगदलपुर.	10 किलो	30000/-
83.	बोधघाट	26/10	15-03-2010	एनएमडीसी चौक जगदलपुर.	10 किलो	30000/-
84.	भानपुरी	40/10	22-03-2010	बनियागांव	11 किलो 150 ग्राम	25000/-
85.	कोंडागांव	55/10	15-03-2010	लंजोड़ा	2 क्विं. 96 किलो 800 ग्राम	100000/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86.	नगरनार	71/10	30-03-2010	तिरिया	2 क्विं. 78 किलो	834000/-
87.	नगरनार	90/10	24-04-2010	तारापुर तिराहा	5 किलो	15000/-
88.	करपावंड	26/10	04-04-2010	खोटलापाल	6 किलो 460 ग्राम	19000/-
89.	करपावंड	28/10	11-04-2010	पाथरी	3 किलो 200 ग्राम	10000/-
90.	केशकाल	45/10	06-04-2010	हरापाडाव	1 किलो	3700/-
91.	नगरनार	99/10	07-05-2010	चोकावाडा	8 किलो 950 ग्राम	27000/-
92.	नगरनार	100/10	07-05-2010	बेचपदर	2 किलो 500 ग्राम	7500/-
93.	नगरनार	103/10	09-05-2010	पीठापुर	9 किलो 950 ग्राम	30000/-
94.	नगरनार	117/10	27-05-2010	बजावण्ड	3 किलो 500 ग्राम	10500/-
95.	कोंडागांव	92/10	13-05-2010	कोंडागांव	2 किलो 400 ग्राम	10000/-
96.	नगरनार	127/10	10-06-2010	नगरनार तिराहा	4 किलो	12000/-
97.	नगरनार	134/10	28-06-2010	नगरनार	2 किलो	6000/-
98.	बोधघाट	284/10	19-07-2010	आडावाल नाका	4 किलो	12000/-
99.	नगरनार	142/10	11-07-2010	चोकावाडा	2 किलो 950 ग्राम	9000/-
100.	नगरनार	145/10	15-07-2010	धनपूंजी	4 किलो 450 ग्राम	13500/-
101.	नगरनार	147/10	15-07-2010	नलपावण्ड	4 किलो 950 ग्राम	15000/-
102.	फरसगांव	56/10	31-07-2010	बोरगांव	9 किलो 950 ग्राम	27000/-
103.	फरसगांव	57/10	31-07-2010	चुरेगांव	8 किलो	24000/-
104.	दरभा	51/10	27-08-2010	दरभा	24 क्विंटल 68 किलो	9872000/-
105.	कोंडागांव	159/10	09-08-2010	कोकोडी	78 किलो 900 ग्राम	200000/-
106.	कोंडागांव	162/10	10-08-2010	अडका चेपड़ा	8 किलो 200 ग्राम	24000/-
107.	कोंडागांव	169/10	16-08-2010	बालासार	2 नग गांजा का पौधा वजनी 1 किलो 830 ग्राम.	5000/-
108.	कोंडागांव	173/10	19-08-2010	जैतपुरी	119 किलो 500 ग्राम	400000/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
109.	कोंडागांव	174/10	19-08-2010	पलारी	92 किलो	300000/-
110.	कोंडागांव	184/10	24-08-2010	जैतपुरी	2 किंव. 26 किलो 600 ग्राम	666000/-
111.	फरसगांव	61/10	13-08-2010	चिचाड़ी	1 किंवटल	300000/-
112.	नगरनार	173/10	10-08-2010	धनपूंजी	20 किलो	80000/-
113.	नगरनार	191/10	05-09-2010	कौडावण्ड	4 किलो 950 ग्राम	12500/-
114.	नगरनार	194/10	06-09-2010	सिवानागुड़ा	5 किलो	12500/-
115.	नगरनार	197/10	09-09-2010	पीठापुर	20 किलो	50000/-
116.	नगरनार	199/10	11-09-2010	पीठापुर	21 किलो	52500/-
117.	कोंडागांव	214/10	18-09-2010	कुहकावेडा पाथरी.	6 नग गांजा पौधा पत्तेदार 375 ग्राम.	3000/-
118.	कोंडागांव	215/10	21-09-2010	जैतपुरी	2 किंव. 67 किलो 900 ग्राम	800000/-
119.	केशकाल	115/10	18-09-2010	दादरगढ़	2 किंव. 40 किलो 140 ग्राम	720000/-
120.	केशकाल	125/10	29-09-2010	केशकाल	20 किलो 730 ग्राम	61000/-
121.	फरसगांव	69/10	07-09-2010	फरसगांव	31 किलो	93000/-
122.	फरसगांव	70/10	07-09-2010	फरसगांव	38 किलो	114000/-
123.	नगरनार	216/10	07-10-2010	धनपूंजी	5 किलो	15000/-
124.	भानपुरी	141/10	12-10-2010	भानपुरी	8 किलो	10000/-
125.	जगदलपुर	492/10	01-11-2010	परचनपाल	23 किलो	69000/-

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "तेरह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 28) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र अकलतरा में सुखद सहारा पेंशन योजना अन्तर्गत महिलायें एवं लंबित आवेदन पत्रों की जानकारी

क्र.	विधान सभा क्षेत्र अकलतरा के अन्तर्गत ग्रामों का नाम	सुखद सहारा पेंशन योजना अन्तर्गत महिलायें	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या (प्रक्रियाधीन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोरबी	16	0
2.	रसौटा	19	0
3.	पोंच	15	0
4.	परसदा	17	0
5.	जाटा	9	0
6.	बहेराडीह	3	0
7.	महुदा-च	23	1
8.	नवापारा-ब	8	0
9.	सुल्तानार	4	0
10.	भिलाई	2	0
11.	झर्राडीह	0	0
12.	पंतोरा	40	0
13.	ढोरला	19	0
14.	शनिचरा द	4	2
15.	शनिचरा म	2	2
16.	खोहा	10	0
17.	घाटादेई	2	0
18.	उसलापुर	9	0
19.	औराईकला	17	0
20.	मड़वा	2	0
21.	जावलपुर	36	8
22.	बेलंदीयाडीह	3	0
23.	झपेली	12	0
24.	खिसोरा	26	0
25.	कुरदा	40	6
26.	बेलटुकरी	3	0
27.	मधईपुर	2	0
28.	पहरिया	15	0
29.	गोवाबंद	6	0
30.	लछनपुर	16	0
31.	गतवा	9	0
32.	केराकछार	3	0
33.	बक्सरा	15	4
34.	डोगरी	28	0
35.	उच्चभिठ्ठी	17	0
36.	अमझर	5	0
37.	जर्वे-च	31	0
38.	नवापारा-ख	4	11

(1)	(2)	(3)	(4)
39.	लेवाई	2	0
40.	डोगीपेन्डी	1	0
41.	बिरगहनी-च	30	0
42.	दहकोनी	3	0
43.	हेडसपुर	25	0
44.	अंगारखार	8	0
45.	छीतापाली	3	0
46.	चारपारा	21	0
47.	कंडरा	5	0
48.	कुरमा	15	0
49.	करमा	17	0
50.	खारी	6	0
51.	बछौद	21	0
52.	बोकामुड़ा	7	0
53.	टिंगीपुर	2	0
54.	करमंदा	17	0
55.	बैजलपुर	7	0
56.	नवागांव	8	0
57.	सत्तीगुढी	4	0
58.	खरमोरा	3	0
59.	रैनपुर	7	0
60.	मदनपुर गढ़	3	0
61.	बुड़गहन	14	0
62.	पनोरापारा	6	0
63.	कोसमंदा	83	0
64.	बोकरेल	6	0
65.	कोलिहादेवरी	5	0
66.	औराईखुर्द	3	0
67.	परसाभाठा	1	0
68.	देवरी	21	0
69.	पुरैना	15	0
70.	बालपुर	12	1
71.	बंसतपुर	14	0
72.	कुदरी	8	0
73.	घुठिया	4	0
74.	पिसौद	30	0
75.	खैजा	34	0
76.	उदेबंद	16	0
77.	देवरहा	7	0
78.	हरदीविशाल	22	0
79.	कमरीद	31	0
80.	महुदा-ब	11	0
81.	जूनाडीह	5	0
82.	सिवनी	70	1
83.	बिरगहनी-ब	11	5
84.	कटरा	5	3
85.	जर्वे-ब	26	0

(1)	(2)	(3)	(4)
86.	नवगंवा	20	0
87.	कुलीपोटा	12	0
88.	दर्भाठा	4	0
89.	बगडबरी	2	0
90.	सोनबरसा	1	0
91.	अचानकपुर	1	0
92.	अकलतरी	18	0
93.	अमरताल, गढ़ोला	14	0
94.	अमलीपाली सोनडीह, झिरिया	21	0
95.	अमोरा	25	0
96.	आरसमेटा, गोंदाडीह	19	0
97.	अर्जुनी	15	0
98.	कटघरी, सरईगुहान	23	0
99.	कटनई, देवरी	27	0
100.	करूमहूँ	20	0
101.	कल्याणपुर, दर्रीटांढ	20	0
102.	कापन, खपरीडीह	23	0
103.	किरारी	55	0
104.	कोटगढ़	18	0
105.	कोटमीसोनार, अमेरी	41	0
106.	खटोला	11	0
107.	खिसोरा, लिलवाडीह	8	0
108.	खोण्ड	12	0
109.	चंगोरी	27	0
110.	झलमला	22	0
111.	तरौद	36	0
112.	तागा	20	0
113.	तिलई, घनवा	45	0
114.	नरियरा	51	0
115.	पकरिया झू	38	0
116.	पकरिया ल.	33	0
117.	पचरी, सुअरमाल	8	0
118.	पडरिया	13	0
119.	परसदा	24	0
120.	परसाही नाला	17	0
121.	परसाही बाना	11	0
122.	पिपरदा, चंदनिया	15	0
123.	पिपरसत्ती	17	0
124.	पोडीदलहा, पचरी	39	0
125.	पौना, मुरलीकंजी	18	0
126.	फरहदा	11	0
127.	बम्हनी, बाना	4	0
128.	बरगवाँ, महमदपुर	24	0
129.	बिरकोनी, नावापारा	21	0
130.	बुचीहरदी, करहीडीह	12	0
131.	बनाहिल	13	0
132.	बरपाली, बरबसपुर	26	0

(1)	(2)	(3)	(4)
133.	भैंसतरा, दमामी	50	0
134.	मधुआ	10	0
135.	मुड़पार, परसदा	24	0
136.	मुरलीडीह, रोगदा	22	0
137.	रसेड़ा	17	0
138.	लटिया	7	0
139.	सांकर	18	0
140.	साजापाली, मौहाडीह, सोनाइडीह	16	0
141.	सोनसरी	29	0
142.	सोनादुला	7	0
143.	हरदी, सरईपाली	14	0
योग		2336	44

परिशिष्ट “चौदह”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 29) के भाग (क) की जानकारी]

रेडी टू ईट फूड प्रदाय करने हेतु चयनित महिला स्व सहायता समूहों की सूची तथा रेडी टू ईट फूड योजना प्रारंभ करने की तिथि संबंधी जानकारी

क्र.	परियोजना का नाम	विधान सभा क्षेत्र	चयनित महिला स्व सहायता समूह का नाम	पर्यवेक्षक सेक्टर का नाम	महिला स्व सहायता समूह के चयन की तिथि	रेडी टू ईट फूड प्रदाय प्रारंभ करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अकलतरा	अकलतरा	गुरु घासीदास स्व सहायता समूह पिपरसत्ती	कोटमी सोनार	20-08-2009	25-10-2009
2.	तदैव	तदैव	तदैव	कापन	04-09-2009	25-11-2009
3.	तदैव	तदैव	जय मां संतोषी स्व सहायता समूह नरियरा	नरियरा	20-08-2009	25-10-2009
4.	तदैव	तदैव	तदैव	कटघरी	04-09-2009	25-12-2009
5.	तदैव	तदैव	तदैव	अमोरा	18-01-2010	25-02-2010
6.	तदैव	तदैव	मेनका माता स्व सहायता समूह परसाहीबाना	परसाहीबाना	20-08-2009	25-01-2010
7.	तदैव	तदैव	विश्वा महिला स्व सहायता समूह तरौद	अकलतरा	20-08-2009	25-02-2010
8.	बलौदा	अकलतरा	ज्ञान गंगा स्व सहायता समूह सोनबरसा	खिसोरा	20-08-2009	14-02-2010
9.	तदैव	तदैव	नवोदय स्व सहायता समूह बिरगहनी	बलौदा	20-08-2009	13-02-2010
10.	तदैव	तदैव	अमरौतिन स्व सहायता समूह बेलटुकरी	पहरिया	20-08-2009	13-02-2010

परिशिष्ट “पंद्रह”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 48) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	जीवनदीप समिति की बैठक दिनांक	जीवनदीप समिति द्वारा लिये गये निर्णय
(1)	(2)	(3)
1.	30-01-2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. पिछली बैठक के कार्यों की समीक्षा की गई. 2. जीवनदीप समिति के आय-व्यय की समीक्षा की गई एवं आडिट रिपोर्ट वर्ष 2005-06 से वर्ष 2007-08 तक के आडिट शीघ्र कराये जाने के निर्देश दिये गये. 3. जिला चिकित्सालय आने वाले बी.पी.एल. मरीजों को मेडिसीन के लिये राशि की सीमा दो सौ पचास रुपये को यथावत् रखा गया. तथा पीले एवं लाल रंग के कार्डधारी भर्ती मरीजों को स्टॉक न होने की दशा में जीवनदीप समिति से दवाई क्रय निःशुल्क प्रदाय करने का निर्णय लिया गया. रेडक्रास मेडिकल स्टोर को मानक कम्पनियों की गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां स्टॉक में रखने के लिये निर्देशित किया गया. 4. अस्पताल के साफ सफाई ठेके पर न देते हुये अस्पताल में बड़ी संख्या में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों से कराने के निर्देश दिये गये. अस्पताल के बाहरी हिस्से को नगर निगम द्वारा सप्ताह में दो बार सफाई कराने का निर्णय लिया गया. 5. सायकल स्टैंड ठेकेदार से लंबित राशि तत्काल वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया तथा स्टैंड के लिये उपयुक्त स्थल का निर्धारण कर नई निविदा बाबत निर्णय आगामी बैठक में लेने का निर्णय लिया गया. 6. अस्पताल परिसर में बगीचे को तैयार करने हेतु ऐसी संस्था से सम्पर्क/प्रयास करने का निर्णय लिया गया जो जनहित में इस कार्य को कर सके. 7. सेंटर कलेक्शन के लिये पांच कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति तथा पांच कम्प्यूटर क्रय करने के प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लिया गया. 8. जीवनदीप समिति के कर्मचारियों के लिये वर्दी क्रय कर प्रदाय करने का निर्णय लिया गया. 9. जीवनदीप समिति के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव अमान्य किया गया. 10. आयुष्मति भवन धर्मशाला आगामी बैठक तक रेडक्रास द्वारा ही चलाये जाने का निर्णय लिया गया. 11. छोटी एम्बुलेंस वाहन प्रदाय किये जाने हेतु मांग पत्र शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया. 12. अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव अमान्य किया गया तथा अस्पताल में नियमित पुलिस व्यवस्था लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया.

(1)	(2)	(3)
		<p>13. लंबित अग्रिम राशि तत्काल समायोजित कराने का निर्णय लिया गया. अन्यथा वसूल करने के निर्देश दिये गये.</p> <p>14. कूलर क्रय करने का निर्णय लिया गया.</p>
2.	15-07-2009	<p>1. पिछली बैठक के कार्यों की समीक्षा की गई एवं आडिट रिपोर्ट को साधारण सभा की बैठक में रखने के निर्देश दिये गये.</p> <p>2. नेशनल कम्प्यूटर के लंबित देयकों के भुगतान के प्रकरण को साधारण सभा में रखने के आदेश दिये.</p> <p>3. वाशिंग यूनिट हेतु नया टेंडर तत्काल बुलाने हेतु निर्णय लिया गया.</p> <p>4. जूस कार्नर को अस्पताल परिसर में रखने या न रखने के संबंध में परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया.</p> <p>5. बायोमेडिकल वेस्ट अरोमा सर्विसेज द्वारा प्रतिदिन केवल एक समय ही उठाया जाता है जिसे सुबह-शाम उठाने हेतु निर्देशित करने हेतु सिविल सर्जन को अधिकृत किया गया. साथ ही अरोमा सर्विवेज को प्रोपाइटर को बुलाकर उसी दर पर कार्य करने के निर्देश दिये गये.</p> <p>6. पांचों दुकानों की लीज समाप्ति के संबंध में नगर निगम द्वारा कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये.</p> <p>7. जिला चिकित्सालय के स्टॉफ की नियुक्ति के संबंध में शासन/संचालक स्वास्थ्य सेवायें से अतिरिक्त पदों की पूर्ति की मांग करने बाबत् निर्णय लिया गया.</p> <p>8. जीवन समिति के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्देश दिया गया.</p> <p>9. सेन्ट्रल कलेक्शन हेतु कम्प्यूटर खरीद कर संविदा आधार पर जीवनदीप समिति से कर्मचारी रखने हेतु प्रस्ताव साधारण सभा में रखे जाने का निर्णय लिया गया.</p> <p>10. जिला चिकित्सालय की साफ-सफाई ठेके पर नहीं देने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं या लम्बे अवकाश पर हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये.</p> <p>11. सायकल स्टैंड हेतु निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया.</p> <p>12. जिला चिकित्सालय में सभी चिकित्सक समय पर एप्रिन पर नाम की पट्टी लगाकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने तथा निःशुल्क दवाईयां पाने वाले मरीजों को जेनेरिक नाम की दवाईयां ही पर्ची पर लिखने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया.</p> <p style="text-align: center;">इसके साथ ही मरीजों से सद्व्यवहार करने तथा मरीजों को शासन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मरीजों को निजी क्लिनिक या निवार पर आने के लिये न कहने हेतु निर्देशित किया गया.</p> <p>13. जिला चिकित्सालय परिसर में गार्डन के अंदर सायकल स्टैंड स्थानांतरित करने के</p>

(1)	(2)	(3)
		संबंध में परीक्षण कर प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया.
		14. ज़िंदल ओ.पी.डी. से गायनिक वार्ड एवं जिला चिकित्सालय में प्रवेश करने पर दोनों के बीच शेड निर्माण, अस्पताल के मुख्य द्वार के चैनल गेट को ठीक करने हेतु स्टीमेट तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया.
		15. शिशु वार्ड से लगे सुलभ काम्पलेक्स के दरवाजे को बंद करवाने बाबत निर्णय लिया गया.
		16. आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था हेतु नई गाड़ी (टाटा सुमो/बुलेरो) हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवायें को पुनः पत्र भेजने हेतु निर्णय लिया गया.
		17. जिला अस्पताल के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा वर्ष 2006 में दिये गये चालीस लाख रुपयों का उपयोग हेतु प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु समिति बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रसव कक्ष का नवीनीकरण, ओ.पी.डी. कक्ष, रिकार्ड रूम सेन्ट्रल कलेक्शन हेतु कम्प्यूटर क्रय, 13 वार्डों एवं ओ.पी.डी. में इंटरकॉम लगाना, नवीन ओ.पी.डी. कक्ष, लेबर रूम हेतु ए.सी. क्रय करना, अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु विद्युत सफाई मशीन का क्रय करना, आपरेशन थियेटर के लिये एयर स्ट्रलाइजर के क्रय आदि सम्मिलित है.
3.	22-01-2010	वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक आडिट रिपोर्ट तथा जीवनदीप समिति के माहवारी आय और व्यय की जानकारी प्रस्तुत की गई.
4.	24-06-2010	1. जीवनदीप समिति के साधारण बैठक दिनांक 22-01-2010 में लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. 2. पूर्व बैठक में पांच कम्प्यूटर क्रय करने हेतु एच.सी.एल. को जारी क्रय आदेश को निरस्त कर सी.एस.आई.डी.सी. दर पर अधिकृत विक्रेता से क्रय करने का निर्णय लिया गया. 3. जिला चिकित्सालय की सुरक्षा व्यवस्था को निजी सुरक्षा एजेंसी को दिये जाने का निर्णय लिया गया. 4. जिला चिकित्सालय के ओ.पी.डी. हेतु 35 के.वी. का जनरेटर क्रय करने का निर्णय लिया गया. 5. जिला चिकित्सालय रायगढ़ के सायकल स्टैण्ड को ठेके पर न्यूनतम राशि दो लाख पर दिये जाने का निर्णय लिया गया. 6. जीवनदीप समिति के सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया. 7. जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित एस.टी.डी. पी.सी.ओ. को बकाया राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया. परिसर में ही संचालित जूस सेंटर से नियत शर्तों पर जूस सेंटर रखे जाने या न रखे जाने के संबंध में निर्णय एक माह में करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया. 8. जिला चिकित्सालय में नियमित जल आपूर्ति हेतु एक प्लंबर और मरीजों की सुविधा

(1)	(2)	(3)
		हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्य सम्पादन हेतु जीवनदीप समिति के मद से एक कम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती करने का निर्णय लिया गया.
		9. अस्पताल के समस्त कक्ष, वार्ड तथा कार्यालय में नेम प्लेट, टेबल क्लॉथ एवं पर्दे, डिजिटल आई. कार्ड क्रय करने का निर्णय लिया गया.
		10. समस्त चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ को समयपर ड्यूटी में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया.
		11. बैठक दिनांक 05-05-2010 के निर्णय अनुसार लेबर रूम एवं गायनिक वार्ड के नवीनीकरण लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन अनुसार कराने का निर्णय लिया गया.
		12. जिला चिकित्सालय में वैक्सन के बेहतर रखरखाव हेतु डब्लू.आई.सी. हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निर्णय लिया गया.
		13. चिकित्सालय के समस्त वार्डों में सामने एवं बाहर बड़ी साईज की कचरापेटी क्रय कर रखने का निर्णय लिया गया.

प्रपत्र "ब"

क्र.	माह	कुल आय			कुल व्यय						
		मरीजों से (3)	अन्य से (4)	कुल योग (5)	मद (6)	राशि (7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
1.	जनवरी 2009	316890	26110	343000	पैथॉलॉजी कैमिकल	26645					
					दवाईयां क्रय	12100					
					बीपीएल मरीजों के लिए दवाईयां क्रय	68524					
					कर्मचारियों का वेतन	94274					
					प्रिन्टिंग खर्च	2980					
					ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग	20628					
					विविध खर्च	16252					
					जनरेटर डीजल	3700					
					वाशिंग यूनिट चार्ज	3321					
					कम्प्यूटर रिपेयरिंग	5665					
					कुल	254089					
					2.	फरवरी 2009	422051	42502	464553	सीटी स्केन	61840
										दवाईयां क्रय	15000
										कर्मचारियों का वेतन	91993
ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग	23760										
विविध खर्च	28530										
जनरेटर डीजल	4078										
फोटो कॉपी मशीन रिपेयरिंग	5848										
कुल	231049										
3.	मार्च 2009	398462	4038101	4436563						पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी	45506
					पैथॉलॉजी कैमिकल ई.सी.जी.	3104					
					कर्मचारियों का वेतन	89777					
					प्रिन्टिंग खर्च	15821					
					ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग	15240					
					विविध खर्च	21829					
					वैट टेक्स रिकव्हरी एण्ड डिपोजिट चालान	2375					
					जनरेटर डीजल	4070					
					कुल	197722					
					4.	अप्रैल 2009	279640	14905	294545	पैथॉलॉजी कैमिकल/एम/सीएमसी	18172
कर्मचारियों का वेतन	93563										
प्रिन्टिंग खर्च	8381										
फोटो कॉपी मशीन रिपेयरिंग	1848										
कुल	121964										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	मई 2009	251919	13743	265662	पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च कम्प्यूटर रिपेयरिंग/डेंटल यूनिट रिपेयरिंग	10101 91091 9130 14280 7373 1000
					कुल	132975
6.	जून 2009	274540	37576	312116	पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग ट्रांसपोर्ट डीजल विविध खर्च जनरेटर डीजल कम्प्यूटर रिपेयरिंग/डेंटल यूनिट रिपेयरिंग	16054 87070 7052 10228 3223 18370 3392 1600
					कुल	146989
7.	जुलाई 2009	293758	121031	413789	पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी सीटी स्केन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन आडिट खर्च ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल 11 गार्ड का ड्रेस एस. एन. सी. यू. बिल्डिंग विद्युतीकरण कार्य वेट सप्लाई	18148 14506 84875 13500 13800 20170 1737 8695 1962000 605100 158100
					कुल	2900631
8.	अगस्त 2009	249778	78825	328603	पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च विविध खर्च जनरेटर डीजल	19376 85809 7696 8390 1849
					कुल	123120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	सितम्बर 2009	320378	20954	341332	पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी सीटी स्केन फिल्म/एक्स-रे फिल्म दवाईयां क्रय बी.पी.एल. मरीजों के दवाईयां क्रय कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च विविध खर्च जनरेटर डीजल	4417 11348 20400 34170 82870 7630 19557 1849
					कुल	182241
10.	अक्टूबर 2009	201363	4530712	4732075	दवाईयां क्रय बी.पी.एल. मरीजों के दवाईयां क्रय कर्मचारियों का वेतन इक्यूपमेंट रिपेयरिंग एण्ड एम.टी. विविध खर्च	15545 20362 78917 29780 4195
					कुल	148799
11.	नवम्बर 2009	280198	29826	310024	सीटी स्केन फिल्म/एक्स-रे फिल्म दवाईयां क्रय कर्मचारियों का वेतन अन्य व्यय (पेंडिंग वार्ड के सामने नलकूप खनन हेतु) ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल फोटो कापी रिपेयरिंग	35716 24182 82748 44000 22440 12370 1849 13874
					कुल	237179
12.	दिसम्बर 2009	148211	13187	161398	सीटी स्केन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग ट्रांसपोर्ट डीजल विविध खर्च जनरेटर डीजल	39452 79124 12372 12120 3816 55900 3451
					कुल	206235
13.	जनवरी 2010	193933	371694	565627	कर्मचारियों का वेतन विविध खर्च	79613 13663
					कुल	93276

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	फरवरी 2010	303037	33627	336664	सीटी स्कैन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन रिपेयरिंग एण्ड मेंटेनेंस (पावर पम्प एण्ड पाईप लाईन) ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल वेट टेक्स रिकव्हरी एण्ड डिपोजिट चालान	36180 86829 70900 19440 21889 1850 2768
					कुल	239856
15.	मार्च 2010	227614	40781	268395	सीटी स्कैन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल	20200 86726 10260 13460 58937 6524
					कुल	196107
16.	अप्रैल 2010	247212	38103	285315	सीटी स्कैन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन सीलिंग पंखा, ए.सी. एवं कुलर मरम्मत कार्य हेतु. नया सिलिंग पंखा क्रय करने हेतु नया एक्सास्ट पंखा क्रय करने हेतु केन्टीन निर्माण इक्यूपमेंट रिपेयरिंग एण्ड एम.टी. ऑक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल बैंक एक्स.	64449 87880 137800 273000 270000 103000 6300 4940 9110 5056 25
					कुल	961560
17.	मई 2010	346465	16684	363149	पैथॉलॉजी कैमिकल ए एम सी/सी.एम.सी. कर्मचारियों का वेतन इक्यूपमेंट रिपेयरिंग जनरेटर डीजल	36870 87017 9450 7974
					कुल	141311

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	जून 2010	261323	33059	294382	11 ए.सी. क्रय का खर्च कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग चार्ज आक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च मासिक किराया मेसर्स नेशनल कम्प्यूटर, बिलासपुर माह 04 एवं 05/2010	215456 87801 9415 20040 22255 47833
					कुल	402800
19.	जुलाई 2010	351392	186473	537865	पैथॉलॉजी कैमिकल एम/सीएमसी कर्मचारियों का वेतन आक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग ट्रांसपोर्ट डीजल विविध खर्च वेट टेक्स रिकव्हर एण्ड डिपोजिट चालान	42487 82767 19920 4293 11017 24294
					कुल	537865
20.	अगस्त 2010	442862	45878	488740	सीटी स्केन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन आक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल हास्पिटल सफाई ठेका मासिक किराया माह जून 2010. सेन्ट्रल कलेक्शन मेसर्स नेशनल कम्प्यूटर बिलासपुर मासिक किराया माह 06 एवं 07/2010.	52211 86927 9120 902 4008 66878 70000
					कुल	290046
21.	सितम्बर 2010	346622	19939	366561	पैथॉलॉजी कैमिकल/ए.एम.सी./सी.एम.सी. सीटी स्केन फिल्म/एक्स-रे फिल्म कर्मचारियों का वेतन प्रिन्टिंग खर्च आक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च जनरेटर डीजल फोटो कापी मशीन रिपेयरिंग हास्पिटल सफाई ठेका मासिक किराया माह जुलाई 2010. सेन्ट्रल कलेक्शन मेसर्स नेशनल कम्प्यूटर बिलासपुर मासिक किराया.	23685 25591 69140 6150 4560 8910 4216 22124 81707 35000
					कुल	281083

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	अक्टूबर 2010	303172	39994	343166	पैथॉलॉजी कैमिकल/ए.एम.सी./सी.एम.सी. दवाईयां क्रय कर्मचारियों का वेतन आक्सीजन सेलेन्डर रिफिलिंग विविध खर्च फोटो कापी मशीन रिपेयरिंग हास्पिटल सफाई ठेका मासिक किराया माह 08 एवं 09/2010. सेन्ट्रल कलेक्शन मेसर्स नेशनल कम्प्यूटर बिलासपुर मासिक किराया माह 09/2010.	25817 25958 66038 10560 2200 2100 154336 35000
					कुल	322009

परिशिष्ट “सोलह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 69) की जानकारी]

तहसील का नाम (1)	पटवारी हल्का नंबर (2)	अविवादित नामांतरण (3)	अविवादित बंटवारा (4)	लंबित रहने का कारण (5)
भाटापारा	01	04	-	विविध प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण लंबित है सभी प्रकरण समय-सीमा के अंतर्गत
	02	03	-	
	05	02	-	
	06	01	-	
	07	01	-	
	10	07	-	
	11	08	-	
	12	12	-	
	14	02	-	
	16	01	-	
	18	01	-	
	19	01	-	
	20	05	-	
	21	02	-	
	22	02	-	
	23	01	-	
	24	01	-	
	25	03	-	
	26	01	-	
	27	03	-	
29	01	-		
32	02	-		
35	02	-		
36	03	-		
37	02	-		
योग		71		
सिमगा	04	04	-	विधिक प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण लंबित है सभी प्रकरण समय-सीमा के अंतर्गत
	13	03	-	
	14	12	01	
	19	02	-	
	21	22	-	
	26	05	-	
	28	18	-	
	29	03	-	
	30	05	-	
योग		74	01	

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 145) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	हितग्राहियों की संख्या (वर्ष 2009-10)	हितग्राहियों की संख्या (वर्ष 2010-11) 15 नवम्बर 2010 तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बरमकेला	1227	667
2.	सारंगढ़	1352	1020
3.	पुसौर	902	604
4.	रायगढ़	6677	4650
5.	खरसिया	2803	1607
6.	तमनार	763	600
7.	घरघोड़ा	536	431
8.	लैलूंगा	853	563
9.	धरमजयगढ़	1332	1243
		16,445	11,385

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 146) के भाग (क) की जानकारी]

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड का नाम	परियोजना का नाम	संचालित केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायगढ़	बरमकेला	बरमकेला	253
2.	„	पुसौर	पुसौर	171
3.	„	धर्मजयगढ़	धर्मजयगढ़	370
4.	„	लैलूंगा	लैलूंगा	229
5.	„	सारंगढ़	सारंगढ़	304
6.	„	तमनार	तमनार	163
7.	„	घरघोड़ा	घरघोड़ा	107
8.	„	खरसिया	खरसिया	233
9.	„	रायगढ़ ग्रामीण	रायगढ़ ग्रामीण	171
			रायगढ़ शहरी	125
योग				2126

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 157) के भाग (क) की जानकारी]

विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल के पुलिस थाना एवं चौकियों में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों की जानकारी

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	थाना/चौकी	स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की जानकारी					
				निरी.	उनि.	सउनि.	प्र.आर.	आर.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	रायपुर	बिलाईगढ़	थाना	स्वीकृत	1	2	4	10	48
			बिलाईगढ़	कार्यरत	0	1	2	2	8
				रिक्त	1	1	2	8	40
			थाना	स्वीकृत	1	2	4	10	48
			सरसीवा	कार्यरत	0	1	1	3	5
				रिक्त	1	1	3	7	43
			चौकी	स्वीकृत	0	1	2	3	12
			भटगांव	कार्यरत	0	1	1	2	3
				रिक्त	0	0	1	1	9
		कसडोल	थाना	स्वीकृत	1	2	4	10	48
			कसडोल	कार्यरत	0	1	1	3	8
				रिक्त	1	1	3	7	40
			चौकी	स्वीकृत	0	1	2	3	12
			गिधौरी	कार्यरत	0	0	1	2	2
				रिक्त	0	1	1	1	10
			चौकी बया	स्वीकृत	0	1	1	4	20
				कार्यरत	0	1	1	2	4
				रिक्त	0	0	0	2	16
चौकी	स्वीकृत	0	2	2	6	26			
गिरौधपुरी	कार्यरत	0	1	1	1	3			
	रिक्त	0	1	1	5	23			

परिशिष्ट “बीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 271) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

आरंग विधान सभा क्षेत्र में धान उपार्जन केन्द्र की जानकारी

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	धान उपार्जन केन्द्र (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)
1.	आरंग	आरंग	नगर पंचायत, आरंग
2.	भानसोज	भानसोज	ग्राम पंचायत, भानसोज
		फरफौद	ग्राम पंचायत, फरफौद
3.	मोखला	मोखला	ग्राम पंचायत, मोखला
		लखौली	ग्राम पंचायत, लखौली
4.	गौरभाठ	गौरभाठ	ग्राम पंचायत, गौरभाठ
5.	भिलाई	भिलाई	ग्राम पंचायत, भिलाई
		गोईदा	ग्राम पंचायत, गोईदा
6.	बाना	देवरी	ग्राम पंचायत, देवरी
		गूल्लू	ग्राम पंचायत, गूल्लू
		चपरीद	ग्राम पंचायत, चपरीद
7.	रींवा	रींवा	ग्राम पंचायत, रींवा
8.	खुटेरी	गोढ़ी	ग्राम पंचायत, गोढ़ी
		टेकारी	ग्राम पंचायत, टेकारी
9.	मंदिर हसौद	मंदिर हसौद	ग्राम पंचायत, मंदिर हसौद
10.	बरौदा	बरौदा	ग्राम पंचायत, बरौदा
11.	पलौद	पलौद	ग्राम पंचायत, पलौद
		गनौद	ग्राम पंचायत, गनौद
12.	पचेडा	पचेडा	ग्राम पंचायत, पचेडा
13.	नरदहा	नरदहा	ग्राम पंचायत, नरदहा
14.	नारा	नारा	ग्राम पंचायत, नारा
15.	खौली	खौली	ग्राम पंचायत, खौली
16.	नगपुरा	चंदखुरी	ग्राम पंचायत, चंदखुरी
17.	भैसा	भैसा	ग्राम पंचायत, भैसा
18.	कोसरंगी	कोसरंगी	ग्राम पंचायत, कोसरंगी
		देवरतिल्दा	ग्राम पंचायत, देवरतिल्दा
19.	संकरी	संकरी	ग्राम पंचायत, संकरी
		कोरासी	ग्राम पंचायत, कोरासी
		अमसेना	ग्राम पंचायत, अमसेना
20.	अमोदी	अमोदी	ग्राम पंचायत, अमोदी
21.	चिखली	कुटेला	ग्राम पंचायत, कुटेला
22.	भंडार	भंडार	ग्राम पंचायत, भंडार

प्रपत्र "ब"

आरंग विधान सभा क्षेत्र में धान उपार्जन हेतु खरीफ वर्ष 2010 में उपलब्ध कराये गये बारदाने की जानकारी

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	धान उपार्जन केन्द्र (3)	विपणन संघ से प्रदाय बारदाने की संख्या (4)
1.	आरंग	आरंग	39000
2.	भानसोज	भानसोज	39000
		फरफौद	29000
3.	मोखला	मोखला	39000
		लखौली	39000
4.	गौरभाठ	गौरभाठ	39000
5.	भिलाई	भिलाई	15000
		गोईदा	15000
6.	बाना	देवरी	44000
		गूल्लू	33000
		चपरीद	25000
7.	रींवा	रींवा	71000
8.	खुटेरी	गोढ़ी	70000
		टेकारी	58500
9.	मंदिर हसौद	मंदिर हसौद	51000
10.	बरौदा	बरौदा	5000
11.	पलौद	पलौद	20000
		गनौद	17000
12.	पचेडा	पचेडा	33000
13.	नरदहा	नरदहा	43000
14.	नारा	नारा	46000
15.	खौली	खौली	35000
16.	नगपुरा	चंदखुरी	97500
17.	भैसा	भैसा	30000
18.	कोसरंगी	कोसरंगी	30000
		देवरतिल्दा	35000
19.	संकरी	संकरी	35000
		कोरासी	27000
		अमसेना	20000
20.	अमोदी	अमोदी	35000
21.	चिखली	कुटेला	35000
22.	भंडार	भंडार	30000
योग			1180000

टीप :— सोसायटी द्वारा स्वयं बारदाने की खरीदी नहीं की है, उपरोक्तानुसार सोसायटी को बारदाना छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रदाय किया गया है.

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 354) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र खल्लारी के अंतर्गत ऐसे ग्रामों की सूची, जहां शासकीय मापदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की आवश्यकता है

क्र.	खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विकासखण्डों के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत अंतर्गत शामिल उन ग्रामों के नाम जहां शासकीय मापदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन की आवश्यकता है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बागबाहरा	आमाकोनी	आमाकोनी
2.	बागबाहरा		बंजरबहरा
3.	बागबाहरा		रोडा
4.	बागबाहरा	अरण्ड	अरण्ड
5.	बागबाहरा		बेलर
6.	बागबाहरा	अंवराडबरी	अंवराडबरी
7.	बागबाहरा		बोइरगांव
8.	बागबाहरा	बी. के. बाहरा	बी.के.बाहरा
9.	बागबाहरा	बागबाहराकला	बागबाहराकला
10.	बागबाहरा		कल्याणपुर
11.	बागबाहरा		करमापटपर
12.	बागबाहरा	बाघामुड़ा	बाघामुड़ा
13.	बागबाहरा		बासकांटा
14.	बागबाहरा	बकमा	बकमा
15.	बागबाहरा	बरबसपुर	अमुर्दा
16.	बागबाहरा		बरबसपुर
17.	बागबाहरा		मोहगांव
18.	बागबाहरा	बसुलाडबरी	बसुलाडबरी
19.	बागबाहरा		लिटियादादर
20.	बागबाहरा		मोहबा
21.	बागबाहरा	बिहाझर	बिहाझर
22.	बागबाहरा		फुलवारीकला
23.	बागबाहरा	बिराजपाली	बिराजपाली
24.	बागबाहरा		कोटनपाली
25.	बागबाहरा	भदरसी	भदरसी
26.	बागबाहरा		कुशपाली
27.	बागबाहरा	भलेसर	भलेसर
28.	बागबाहरा		द्वारतराकला
29.	बागबाहरा		द्वारतराखुर्द
30.	बागबाहरा	भालूचुंवा	भालूचुंवा
31.	बागबाहरा		मनबाय
32.	बागबाहरा		पडकीपाली
33.	बागबाहरा		पुटुपारा

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	बागबाहरा	भीमखोज	भीमखोज
35.	बागबाहरा		जोरातराई
36.	बागबाहरा		रैताल
37.	बागबाहरा	भोथा	भोथा
38.	बागबाहरा		गुलझर
39.	बागबाहरा		टेंगराही
40.	बागबाहरा	बिंद्रावन	बिंद्रावन
41.	बागबाहरा	बोडराबांधा	बोडराबांधा
42.	बागबाहरा		बैहाडीह
43.	बागबाहरा		चोरभट्टी
44.	बागबाहरा		जोगीडीपा
45.	बागबाहरा		कोकनाझर
46.	बागबाहरा	बोडरीदादर	बोडरीदादर
47.	बागबाहरा		कोचर्गा
48.	बागबाहरा		सेनभाठा
49.	बागबाहरा	बोईरगांव	बोईरगांव
50.	बागबाहरा		चिखली
51.	बागबाहरा		दरबेकेरा
52.	बागबाहरा	बोकरामुड़ाकला	बोकरामुड़ाकला
53.	बागबाहरा		बोकरामुड़ाखुर्द
54.	बागबाहरा		जामगांव
55.	बागबाहरा		कण्डीझर
56.	बागबाहरा		खुसरूपाली
57.	बागबाहरा	चरौदा	चरौदा
58.	बागबाहरा		जामली
59.	बागबाहरा		जीवनगढ़
60.	बागबाहरा	छुईहा	छुईहा
61.	बागबाहरा		फिरगी
62.	बागबाहरा		सोनदादर
63.	बागबाहरा	दाबपाली	दाबपाली
64.	बागबाहरा		दावनबोर्ड
65.	बागबाहरा		धामनतोरी
66.	बागबाहरा	डुमरपाली	बिजराडीह
67.	बागबाहरा		डुमरपाली
68.	बागबाहरा		घुंचापाली
69.	बागबाहरा	देवरी	देवरी
70.	बागबाहरा	डोकरपाली	डोकरपाली
71.	बागबाहरा		टूरीझर
72.	बागबाहरा	डोंगरगांव	चारभाठा
73.	बागबाहरा		डोंगरगांव
74.	बागबाहरा		खुडमुड़ी
75.	बागबाहरा	गबौद	गबौद

(1)	(2)	(3)	(4)
76.	बागबाहरा		हाथीगढ़
77.	बागबाहरा	गांजर	गांजर
78.	बागबाहरा	घोयनाबाहरा	भालूचुंवा
79.	बागबाहरा		घोयनाबाहरा
80.	बागबाहरा	धुंचापाली	धुंचापालीकला
81.	बागबाहरा	हाड़ाबंद	हाड़ाबंद
82.	बागबाहरा		नवागांव
83.	बागबाहरा		तरपोंगी
84.	बागबाहरा	हाथीबाहरा	बिछलादादर
85.	बागबाहरा		घोटियापानी
86.	बागबाहरा		हाथीबाहरा
87.	बागबाहरा		मातरबाहरा
88.	बागबाहरा	झिटकी	झिटकी
89.	बागबाहरा		कोकड़ी
90.	बागबाहरा		मुड़पार
91.	बागबाहरा	जुनवानीखुर्द	जुनवानीखुर्द
92.	बागबाहरा	जुनवानीकला	हरनादादर
93.	बागबाहरा		जुनवानीकला
94.	बागबाहरा	कलमीदादर	बांदुमुडा
95.	बागबाहरा		कमलीदादर
96.	बागबाहरा	कमरौद	कमरौद
97.	बागबाहरा		खम्हारमुड़ा
98.	बागबाहरा	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी
99.	बागबाहरा		कोल्दा
100.	बागबाहरा	कसेकेरा	कसेकेरा
101.	बागबाहरा	कसहीबाहरा	कसहीबाहरा
102.	बागबाहरा		पंडराचुंवा
103.	बागबाहरा	कौंसरा	कौहाकुडा
104.	बागबाहरा		कौंसरा
105.	बागबाहरा		ठकुरीपाली
106.	बागबाहरा	खैरटकला	भालूकोना
107.	बागबाहरा		खैरटकला
108.	बागबाहरा		पल्सीपानी
109.	बागबाहरा	खैरटखुर्द	भिलाईदादर
110.	बागबाहरा		खैरटखुर्द
111.	बागबाहरा		मोखा
112.	बागबाहरा	खल्लारी	खल्लारी
113.	बागबाहरा	खम्हरिया	अम्लीडीह
114.	बागबाहरा		खम्हरिया
115.	बागबाहरा	खाड़ादरहा	खाड़ादरहा
116.	बागबाहरा		सालडबरी
117.	बागबाहरा	खट्टी	खट्टी

(1)	(2)	(3)	(4)
118.	बागबाहरा		सेनभाठा
119.	बागबाहरा	खेमड़ा	खेमड़ा
120.	बागबाहरा	खोपली	खोपली
121.	बागबाहरा		सोनापुटी
122.	बागबाहरा	खुशीपार	ब्राम्हनसरा
123.	बागबाहरा		खुशीपार
124.	बागबाहरा		मनकी
125.	बागबाहरा	खुसरूपाली	डोकरपाली
126.	बागबाहरा		खुसरूपाली
127.	बागबाहरा	खुटेरी	अमेठी
128.	बागबाहरा		खुटेरी
129.	बागबाहरा	कोमा	आमानारा
130.	बागबाहरा		कोमा
131.	बागबाहरा	कोमाखान	कोमाखन
132.	बागबाहरा		लुकुपाली
133.	बागबाहरा	कोसमरा	कछारडीह
134.	बागबाहरा		कोसमरा
135.	बागबाहरा	कुलिया	बटोरा
136.	बागबाहरा		बिडोरा
137.	बागबाहरा		कुलिया
138.	बागबाहरा	कुरूभाठा	छिंदौला
139.	बागबाहरा		धौराभाठा
140.	बागबाहरा		डुमरडीह
141.	बागबाहरा		कुरूभाठा
142.	बागबाहरा	कुसमी	कुसमी
143.	बागबाहरा	लमकेनी	आममांवा
144.	बागबाहरा		लमकेनी
145.	बागबाहरा		तिलाईदादर
146.	बागबाहरा	म. क. बाहरा	म. क. बाहरा
147.	बागबाहरा		पड़कीपाली
148.	बागबाहरा	मामाभाचा	डोकरपाली
149.	बागबाहरा		मामाभाचा
150.	बागबाहरा	मोहंदी	मोहंदी
151.	बागबाहरा	मोंगरापाली स	मोंगरापाली स
152.	बागबाहरा		सराईपाली
153.	बागबाहरा	मोंगरापाली रे	डोंगरीपाली
154.	बागबाहरा		मोंगरापाली रे
155.	बागबाहरा		रेवा
156.	बागबाहरा	मुनगासेर	मुनगासेर
157.	बागबाहरा		नरतौरी
158.	बागबाहरा	नरा	नरा
159.	बागबाहरा	ओंकारबंध	चुरकी

(1)	(2)	(3)	(4)
160.	बागबाहरा		ओंकारबंध
161.	बागबाहरा		तेलीबांधा
162.	बागबाहरा	पचेड़ा	पचेड़ा
163.	बागबाहरा	राटापाली	बहेराभाठा
164.	बागबाहरा		झलमला
165.	बागबाहरा		राटापाली
166.	बागबाहरा	परकोम	बनियातौरा
167.	बागबाहरा		परकोम
168.	बागबाहरा	परसुली	अमनपुरी
169.	बागबाहरा		परसुली
170.	बागबाहरा	पण्डरीपानी	पण्डरीपानी
171.	बागबाहरा		कारागुला
172.	बागबाहरा	पतेरापाली	बोहारडीह
173.	बागबाहरा		गाड़ाघाट
174.	बागबाहरा		पतेरापाली
175.	बागबाहरा	पतेरापाली स	लौंदामुडा
176.	बागबाहरा		पतेरापाली
177.	बागबाहरा		सरईपाली
178.	बागबाहरा	पटपरपाली	ब्राम्हडीह
179.	बागबाहरा		चंदरपुर
180.	बागबाहरा		खट्टाडीह
181.	बागबाहरा		पटपरपाली
182.	बागबाहरा	पोटिया	हिच्छा
183.	बागबाहरा		खम्हारमुडा म
184.	बागबाहरा		पोटिया
185.	बागबाहरा	सालहेभाठा	बैगाखम्हरिया
186.	बागबाहरा		दाईजबांधा
187.	बागबाहरा		डोंगाखम्हरिया
188.	बागबाहरा		सालहेभाठा
189.	बागबाहरा	सम्हर	सम्हर
190.	बागबाहरा	शिकारीपाली	भीखापाली
191.	बागबाहरा		शिकारीपाली
192.	बागबाहरा	सिमगांव	छिबरा
193.	बागबाहरा		सिमगांव
194.	बागबाहरा	सिवनीकला	केरामुडाकला
195.	बागबाहरा		केरामुडाखुर्द
196.	बागबाहरा		मातगुडा
197.	बागबाहरा		सिवनीकला
198.	बागबाहरा		सिवनीखुर्द
199.	बागबाहरा		सोनामुंदी
200.	बागबाहरा	सिरीपठारीमुड़ा	दारगांव
201.	बागबाहरा		सिरीपठारीमुडा

(1)	(2)	(3)	(4)
202.	बागबाहरा		सोनदादर
203.	बागबाहरा		सुनसुनिया
204.	बागबाहरा	सुखरीडबरी	अनवरपुर
205.	बागबाहरा		कसतुबोड
206.	बागबाहरा		सुखरीडबरी
207.	बागबाहरा	सुअरमार	भटगांव
208.	बागबाहरा		चिंगरिया
209.	बागबाहरा		सुअरमार
210.	बागबाहरा	तमोरा	धरमपुर
211.	बागबाहरा		ढोड
212.	बागबाहरा		तमोरा
213.	बागबाहरा		डोंगा
214.	बागबाहरा	टेढीनारा	सोहागपुर उर्फ नवागांव
215.	बागबाहरा		टेढीनारा
216.	बागबाहरा	टेका	टेका
217.	बागबाहरा		डुहलू
218.	बागबाहरा		छुरीडबरी
219.	बागबाहरा	टेमरी	करहीडीह
220.	बागबाहरा		टेमरी
221.	बागबाहरा	तेंदुकोना	साल्हेभाठा
222.	बागबाहरा		तेन्दूकोना
223.	बागबाहरा	टोंगोपानीकला	कोटरीपानी
224.	बागबाहरा		टोंगोपानीखुर्द
225.	बागबाहरा		टोंगोपानीकला
226.	बागबाहरा	तुपकबोरा	मुड़ागांव
227.	बागबाहरा		तुपकबोरा
228.	बागबाहरा	तुषदा	फुलझर
229.	बागबाहरा		पेण्डरा
230.	बागबाहरा		तुषदा
231.	बागबाहरा	उखरा	अमेरा
232.	बागबाहरा		लामीसरार
233.	बागबाहरा		उखरा
234.	पिथौरा	गोड़बहाल	गोड़बहाल
235.	पिथौरा	मुढीपार	मुढीपार
236.	पिथौरा	जंघोरा	जंघोरा
237.	पिथौरा	जंघोरा	बरतुंगा
238.	पिथौरा	खुटेरी	खुटेरी
239.	पिथौरा	अरण्ड	अरण्ड
240.	पिथौरा	ठाकुरदियाखुर्द	ठाकुरदियाखुर्द
241.	पिथौरा	ठाकुरदियाखुर्द	खपराखोल
242.	पिथौरा	कौहाकुड़ा	कौहाकुड़ा
243.	पिथौरा	कौहाकुड़ा	बेलर

(1)	(2)	(3)	(4)
244.	पिथौरा	ठकुरदियाकला	ठाकुरदियाकला
245.	पिथौरा	ठाकुरदियाकला	सराईपाली
246.	पिथौरा	धनोरा	धनोरा
247.	पिथौरा	धनोरा	हरदी
248.	पिथौरा	घोंच	घोंच
249.	पिथौरा	बगारपाली	बगारपाली
250.	पिथौरा	बगारपाली	खुसरूपाली
251.	पिथौरा	घोघरा	घोघरा
252.	पिथौरा	घोघरा	हनुमानडीह
253.	पिथौरा	दुरूगपाली	दुरूगपाली
254.	पिथौरा	दुरूगपाली	फुटगुना
255.	पिथौरा	गड़बेड़ा	गड़बेड़ा
256.	पिथौरा	कसहीबाहरा	कसहीबाहरा
257.	पिथौरा	कसहीबाहरा	सरगतोरा
258.	पिथौरा	सोनासिल्ली	सोनासिल्ली
259.	पिथौरा	लामीडीह	लामीडीह
260.	पिथौरा	लामीडीह	दादरगांव
261.	पिथौरा	कुम्हारीमुड़ा	कुम्हारीमुड़ा
262.	पिथौरा	कुम्हारीमुड़ा	पंडरीखार
263.	पिथौरा	बढ़ईपाली	बढ़ईपाली
264.	पिथौरा	बढ़ईपाली	बांसकांटा
265.	पिथौरा	मोंहदा	मोंहदा
266.	पिथौरा	मोंहदा	कोटादादर
267.	पिथौरा	नयापारा कला	नयापारा कला
268.	पिथौरा	खेड़ीगांव	खेड़ीगांव
269.	पिथौरा	चौकबेड़ा	चौकबेड़ा
270.	पिथौरा	मुड़ागांव	मुड़ागांव
271.	पिथौरा	बिजरापाली	बिजरापाली
272.	पिथौरा	गहनागांठा	गहनागांठा
273.	पिथौरा	भुरकोनी	भुरकोनी
274.	पिथौरा	बिराजपाली	बिराजपाली
275.	पिथौरा	बिराजपाली	डोंगाझर
276.	पिथौरा	कोदोपाली	कोदोपाली
277.	पिथौरा	कोदोपाली	चुरूपाली
278.	पिथौरा	नवागांव कला	नवागांव कला
279.	पिथौरा	नवागांव कला	सुईनारा
280.	पिथौरा	कोल्दा	कोल्हा
281.	पिथौरा	कोल्दा	सेवाती
282.	पिथौरा	कोल्दा	नवागांव खुर्द
283.	पिथौरा	सोहागपुर	सोहागपुर
284.	पिथौरा	सोहागपुर	भरुवामुड़ा
285.	पिथौरा	चरौदा	चरौदा

(1)	(2)	(3)	(4)
286.	पिथौरा	चरौदा	फरौदा
287.	पिथौरा	चरौदा	परसदा
288.	पिथौरा	बुन्देली	बुन्देली
289.	पिथौरा	छिन्दौली	छिन्दौली
290.	पिथौरा	छिन्दौली	बोईरलामी
291.	पिथौरा	बेलडीह	बेलडीह
292.	पिथौरा	लिलेसर	लिलेसर
293.	पिथौरा	लिलेसर	उदरलामी
294.	महासमुन्द	सोरम	सोरम
295.	महासमुन्द	झारा	झारा
296.	महासमुन्द	पाली	पाली